रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, मार्च 29—अप्रैल 4, 2009, शनिवार/चैत्र 8—चैत्र 14, 1931
No. 14] NEW DELHI, MARCH 29—APRIL 4, 2009, SATURDAY/CHAITRA 8—CHAITRA 14, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

का.आ. 782.—केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर राज्य सरकार, गृह विभाग इम्फाल की अधिसूचना सं. 2/8(92)/2009-एच दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा प्राप्त सहमति से डा. थिंगनाम किशन सिंह, एसडीओ फासोम खुलेन और उनके दो अधीनस्थ कार्मिकों के अपहरण और हत्या के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 365, 368और 34 के तहत पुलिस थाना उखरूल में दर्ज एफआईआर सं. 8(2)09 और भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 302 के तहत पुलिस थाना सेनापति, मणिपुर में दर्ज एफआईआर सं. 3(2)09 के अधीन दंडनीय अपराध और उक्त अपराध से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों और उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मणिपुर राज्य पर करती है।

[सं. 228/11/2009-एवीडी-II]

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 24th March, 2009

S.O. 782.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Manipur, Home Department, Imphal *vide* Notification No. 2/8(92)/2009-H, dated 19th February, 2009, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Manipur for the investigation of FIR No. 8(2)/2009 under Sections 365, 368 and 34 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Ukhrul and FIR No. 3(2) 09 under Section 302 of the

Indian Panel Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Senapati, Manipur relating to the abduction and killing of Dr. Thingnam Kishan Singh, SDO Kasom Khullen and two of his subordinate staff and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offence mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/11/2009-AVD-II]
CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

त्रिची, 12 फरवरी, 2009

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (V) के अधीन अनुमोदन

का.आ. 783.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23सी) के उप खंड (V) के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के 2 सीए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उप खंड में बताए गए प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2009-10 से द सेलम डायोसीस सोसाइटी, बिशपस् हाउस, पोस्ट बाक्स सं. 703, मरवनेरी, सेलम-636007 को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुमोदन दिया जाता है;

2. (i) सोसाइटी आयकर अधिनियम, की धारा 1961 की धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (V) के साथ पठित आयकर नियम 1962 के 2 सीए के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन करेगी।

(ii) अधिनियम 10(23सी) के तीसरे परन्तुक के खंड (अ) से अपेक्षित यह सोसाइटी अपनी आय का उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है, पूर्णत: और अन्यथा: उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचयन करती है और उस दशा में जहां 1-4-2002 को या उसके पश्चात् उसकी आय का पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक का संचयन हो जाता है वहां उसकी आय का संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(iii) अधिनियम 10(23सी) के तीसरे परन्तुक के खंड (ब) के उप खंड (5) से अपेक्षित तथा धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में किसी भी अवधि के लिए यह सोसाइटी अपनी निधि से अन्यथा निवेशों और निक्षेपों (आभूषण एवं फर्नीचर या ऐसी वस्तु के रूप में प्राप्त और रखे गए स्वैच्छिक अभिदाय के अलावा) में नहीं करेगी ।

(iv) यह अनुमोदन किसी ऐसी आय के लिए लागू नहीं होगा जो निर्धारिती द्वारा कारोबार, व्यापार से प्राप्त होती है या कारोबार या व्यापार से अर्जित आय का प्रयोग या प्रतिधारण ऐसे कार्यों की सेवा में प्रदान किया गया है ।

(v) अधिनियम की धारा 10(23सी) के दसवें परन्तुक के अनुसार यह सोसाइटी अपनी बहियाँ लेखा परीक्षित कराएगी और अधिनियम की धारा 139 (4सी) के अनुसरण में नियमित तौर पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ विवरणी फाइल करेगी ।

(vi) सोसाइटी के भंग होने पर उसके अधिशेष एवं आस्तियां ऐसे संगठन को दी जाएंगी जो पूर्णत: सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए है और लाभ के प्रयोजनार्थ नहीं है और अधिनियम की धारा 13(3) में विनिर्दिष्ट अनुसार उसका कोई भी भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती के हिताधिकारी या अन्य किसी को नहीं जाएगा ।

(vii) अधिनियम 10(23सी) के पंद्रहवें परन्तुक तथा धारा 115 बीबीसी के साथ पठित यह अनुमोदन अनाम संदानों के लिए लागू नहीं होगा ।

(viii) उपविधि 23 के अनुसरण में सोसाइटी के नियमों, विनियमों एवं उपविधियों को जब संशोधित या परिवर्तित करने का कदम उठाया जाए तब अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तावित उपविधियों का मसौदा भेजकर पूर्व अनुमोदन लिया जाए और अनुमोदन मंजूर होने तक कोई भी संशोधन नहीं किया जाए । कोई भी संशोधन बिना किसी पूर्व अनुमोदन के स्वत: ही शून्य मान लिया जाएगा ।

3. उपरोक्त अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी द्वारा वापस ले लिया माना जाएगा यदि तत्पश्चात् यह मालूम हो कि सोसाइटी की गतिविधियाँ असली या वास्तविक नहीं हैं या, अधिनियम की धारा 10(23सी) के पंद्रहवें परन्तुक के अनुसरण में गतिविधियाँ स्वीकृत अनुमोदन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही हैं ।

[सी सं. 935(2)/मु.आ./त्रिची/2008-09]
कमला कांत त्रिपाठी, मुख्य आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Trichy, the 12th February, 2009

Approval Under Section 10 (23C) (V) of the Income Tax Act, 1961

S. O. 783.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962, The Salem Diocese Society, Bishop's House, Post Box No.703, Maravaneri,Salem-636 007 is hereby approved for the purposes of the said sub-clause from the assessment year 2009-2010 onwards, subject to the following conditions :

2. (i). The society shall conform to and comply with the provisions of sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 2C of the Income-tax Rules, 1962.

(ii) The society shall apply its income or accumulate its income for application wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after 1-4-2002, the period of accumulation

of the same shall in no case exceed five years, as required in clause (a) of the third proviso to Section 10(23C) of the Act.

(iii) The society shall not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery or furniture) for any period otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 of the Act, as required in clause (b) of the third proviso to Section 10(23C) of the Act.

(iv) This approval shall not apply in relation to any income from any activity in the nature of trade, commerce or business or rendering of any service in relation to trade, commerce or business irrespective of the nature of use or application or retention of income from such activity.

(v) The society shall get its accounts audited in accordance with the tenth proviso to Section 10(23C) of the Act and regularly file its return along with the audit report in accordance with Section 139(4C) of the Act.

(vi) In the event of dissolution of the society, its surplus and assets shall be given to an organization which exists solely for public religious and charitable purposes and not for purposes of profit and no part of the same shall go directly or indirectly to any of the beneficiaries of the assessee or any body specified in Section 13(3) of the Act.

(vii) The approval shall not apply in relation to anonymous donations in terms of the fifteenth proviso to Section 10(23C) r.w.s. 115BBC of the Act.

(viii) As and when there is a move to amtend or alter the rules, regulation and by-laws of the society in accordance with by-law 23, prior approval of the undersigned may be obtained by forwarding the draft of the proposed bylaws and no such amendment may be effected until and unless the approval is accorded. Any such amendment without prior approval will suo-moto render the approval as void.

3. The above approval is liable to be withdrawn by the undersigned, if it is subsequently found that the activities of the society are not genuine or if they are not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which the approval is granted, in accordance with fifteenth proviso to Section 10(23C) of the Act.

[C. No. 935(2)/CCIT/TRY/2008-09]

K. K. TRIPATHI, Chief Commissioner of Income-tax

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त

उदयपुर, 24 मार्च, 2009

सं. 10/2008-09

(आयकर)

का.आ. 784.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 10 के खण्ड(23 ग) के उपखण्ड (iv), के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त, उदयपुर एतद्द्वारा **"आशा धाम आश्रम, 'बी' ब्लॉक, सज्जन नगर, उदयपुर (राजस्थान)"** को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 आगामी वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करते हैं अर्थात्:–

(i) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उनका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (v) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा करोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रासंगिक नहीं हो अथवा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

(iv) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगा;

(v) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियां और परिसंपत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी ।

यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी अन्य प्राप्ति अथवा आय पर । संस्था के आय की कराधेयता अथवा अन्यथा पर, आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जायेगा ।

[सं. मु.आ.अ./आ.अ.(तक.)/उदय./2008-09/3670]

मुकेश भान्ती, मुख्य आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Udaipur, the 24th March, 2009

No. 10/2008-09

(Income-Tax)

S.O. 784.—In exercise of the powers conferred by sub-section (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2C of the Income Tax Rules, 1962, I, the Chief Commissioner of Income-tax, Udaipur hereby notify the **"Asha Dham Ashram Society, 'B' Block, Sajjan Nagar, Udaipur (Rajasthan)"** for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 2009-10 onwards subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contribution received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gain of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;

(iv) the assessee will regularly file its return of income before the income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

(v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organization with similar objectives.

This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the assessee and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or otherwise of the income of the assessee would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

[No. CCIT/ITO(Tech.)/UDR/2008-09/3670]
MUKESH BHANTI, Chief Commissioner of Income-tax

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2009

का.आ. 785.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय को जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
कोचीन आयुक्तालय,
सी. आर. बिल्डिंग, आई एस प्रेस रोड, कोचीन-18

[फा. सं. 11012/1/2008-हिन्दी-2]
मधु शर्मा, निदेशक (रा. भा.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd March, 2009

S.O. 785.—In pursuance of Sub Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use of Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office under the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue, the 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Office of the Commissioner of
Central Excise & Customs,
Cochin Commissionerate,
C. R. Building, I S Press Road,
Cochin-18

[F. No. 11012/1/2008-Hindi-2]
MADHU SHARMA, Director (OL)

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

का.आ. 786.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सुश्री किरण धींगरा, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री एच. एस. आनन्द के स्थान पर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 7/1/2008-बीओ-I]
जी. बी. सिंह, उप सचिव

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 24th March, 2009

S.O. 786.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 ((53 of 1987), the Central Government hereby appoints Ms. Kiran Dhingra, Secretary, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, New Delhi as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders in place of Shri H.S. Anand.

[F. No. 7/1/2008-BO-I]
G. B. SINGH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

का.आ. 787.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) और खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री एम.वी. टांकसले (जन्म तिथि 31-07-1953), महाप्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और दिनांक 31-07-2013 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/22/2008-बीओ-I]

जी. बी. सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 26th March, 2009

S.O. 787.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3, sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri M.V. Tanksale (DoB: 31-07-1953) General Manager, Union Bank of India as a whole time Director (designated as Executive Director) Punjab National Bank with effect from the date of his taking over charge and up to 31-07-2013 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/22/2008-BO-I]

G. B. SINGH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

का.आ. 788.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) और खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री एच.एस.यू. कामथ (जन्म तिथि 14-12-1953), महाप्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और दिनांक 31-12-2013 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/22/2008-बीओ-I]

जी. बी. सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 26th March, 2009

S.O. 788.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3, sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri H.S.U. Kamath (DoB: 14-12-1953) General Manager, Union Bank of India as a whole time Director (designated as Executive Director) Canara Bank with effect from the date of his taking over charge and up to 31-12-2013 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/22/2008-BO-I]

G. B. SINGH, Dy. Secy

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

का.आ. 789.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) और खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री नागेश पायदा (जन्म तिथि 11-02-1952), महाप्रबंधक, बैंक आफ इंडिया, को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और दिनांक 29-02-2012 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/22/2008-बीओ-I]

जी. बी. सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 26th March, 2009

S.O. 789.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3, sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri Nagesh Pydah (DoB: 11-2-1952) General Manager, Bank of India as a whole time Director (designated as Executive Director) Punjab National Bank with effect from the date of his taking over charge and up to 29-2-2012 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/22/2008-BO-I]

G. B. SINGH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

का.आ. 790.—बैंककारी विनियम अधिनियमन, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधान, भारतीय स्टेट बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध, घरेलू प्रबंधक, घरेलू न्यासियों और विदेशी प्रबंधक के इक्विटी/मत अधिकारों में, मैक्यैरी ग्रुप आफ आस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, वाशिंगटन के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम आधारभूत ढांचा निधि के संदर्भ में उपर उल्लिखत प्राधिकारियों के चुकता शेयर पूंजी के 30% से अधिक का निवेश करने से है।

[फा. सं. 13/1/2009-बीओए]

डी. डी. माहेश्वरी, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2009

S.O. 790.—In exercise of the powers conferred by Section 53 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Government of India, on the recommendations of Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 19 (2) of the said Act shall not apply to State Bank of India in so far as they relate to its investment in the equity/voting rights of Domestic Manager, Domestic Trustees and Offshore Manager in excess of 30% of the paid-up share capital of the entities mentioned above with reference to the proposed Joint Venture Infrastructure Fund with Macquarie Group of Australia, and International Finance Corporation, Washington.

[F. No. 13/1/2009-BOA]

D.D. MAHESHWARI, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2009

का.आ. 791.—भारत सरकार एतद्द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित करती है:—

1. अमृतसर विवाहित आवास परियोजना (मैप) मंडल, के.लो.नि.वि., शॉपिंग कॉम्पलैक्स के सामने, रेड कॉलोनी नैमस, अमृतसर (पंजाब)
2. भटिंडा विवाहित आवास परियोजना (मैप) (वैद्युत) मंडल, के.लो.नि.वि., वी.टी.आई. कॉम्पलैक्स, बरनाला रोड, भटिंडा कैन्ट, (पंजाब)
3. भटिंडा विवाहित आवास परियोजना (मैप) मंडल-2, के.लो.नि.वि., गोविन्द एन्कलेव के पास, रैना मार्ग, भटिंडा कैन्ट, (पंजाब)
4. मामून विवाहित आवास परियोजना (मैप) मंडल-1, के.लो.नि.वि., मामून कैन्ट, पठानकोट, (पंजाब)
5. पठानकोट विवाहित आवास परियोजना (मैप) मंडल, के.लो.नि.वि., आर्मी स्कूल के पीछे, पठानकोट, (पंजाब)
6. विवाहित आवास परियोजना (मैप) मंडल-1, के.लो.नि.वि., सैनिक सुरक्षा चौकी-I के पास, एयर ओ.पी. के सामने, भीम रोड, जालंधर कैंट, (पंजाब)
7. विवाहित आवास परियोजना (मैप) मंडल-2, के.लो.नि.वि., सैनिक सुरक्षा चौकी-I के पास, एयर ओ.पी. के सामने, भीम रोड, जालंधर कैंट, (पंजाब)
8. अधीक्षण अभियंता (वै.) (योजना एवं प्रशासन) (पश्चिमी क्षेत्र) के.लो.नि.वि., चौथा माला, निष्ठा भवन, मुम्बई-400020
9. तेजपुर केन्द्रीय मंडल, के.लो.नि.वि., महाभैरव मार्किट, तेजपुर (असम)-784001
10. बालुरघाट केन्द्रीय मंडल-1, के.लो.नि.वि., जब्बर मियां रोड, बाबर मोड़, बालुरघाट, दक्षिण दीनाजपुर-733101
11. हैदराबाद केन्द्रीय मंडल-1, के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, सुलतान बाजार, हैदराबाद-500095
12. हैदराबाद केन्द्रीय वैद्युत मंडल-1, के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, सुलतान बाजार, हैदराबाद-500095
13. तिरुवनन्तपुरम केन्द्रीय मंडल, के.लो.नि.वि., सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, पुनकुलम, वेल्लायानी, पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम-695522

[सं. ई-11017/3/2005-हिन्दी]

ए. के. मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th March, 2009

S.O. 791.—The Government of India in pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) hereby notifies the following offices of CPWD under the administrative control of the Ministry of Urban Development, where more than 80% of staff have acquired working knowledge in Hindi :—

1. Amritsar Married Accommodation Project (MAP) Division, Central Public Works Department, Opposite Shopping Coinplex, Red Colony, Namus, Amritsar (Punjab)

2. Bhatinda Married Accommodation Project (MAP) (E) Division,
Central Public Works Department,
V.T.I. Complex, Barnala Road,
Bhatinda Cantt. (Punjab)

3. Bhatinda Married Accommodation Project (MAP) Division-II,
Central Public Works Department,
Near Govind Enclave, Raina Marg,
Bhatinda Cantt. (Punjab)

4. Mamun Married Accommodation Project (MAP) (E) Division-I,
Central Public Works Department,
Mamun Cantt.,
Mamun Cantt., Pathankot (Punjab)

5. Pathankot Married Accommodation Project (MAP) Division,
Central Public Works Department,
Behind Army School,
Pathankot (Punjab)

6. Married Accommodation Project (MAP) Division-I,
Central Public Works Department,
Near Army Check Post-I,
Opposite Air O.P., Bhim Road,
Jallandhar Cantt., (Punjab)

7. Married Accommodation Project (MAP) Division-II,
Central Public Works Department,
Near Army Check Post-I,
Opposite Air O.P., Bhim Road,
Jallandhar Cantt., (Punjab)

8. Superintending Engineer (E), Planning and Administration (W.R.)
Central Public Works Department,
4th Floor, Nishta Bhavan, Mumbai-400020

9. Tejpur Central Division,
Central Public Works Department,
Mahabhairav Market,
Tejpur (Assam)-784001

10. Balurghat Central Division-I,
Central Public Works Department,
Jabbar Mian Road, Babar Mod,
Balurghat Dakshin, Dinajpur-733101

11. Hyderabad Central Division-I,
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan, Sultan Bazar,
Hyderabad-500095

12. Hyderabad Central Elect. Division-I,
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan, Sultan Bazar,
Hyderabad-500095

13. Trivandrum Central Division,
Central Public Works Department,
CGO Complex, Punkullam Vellayani,
P.O.-Trivandrum-695522

[No. E-11017/3/2005-Hindi]
A. K. MEHTA, Jt. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2009

का.आ. 792.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम, 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उप-नियम (2) और (4) के अनुसरण में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली को जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

[सं. हिंदी-2009/रा.भा. 1/12/2]
संसार चंद, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 18th March, 2009

S.O. 792.—Ministry of Railways (Railway Board), in pursuance of Sub-rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, hereby, notify Dedicated Freight Corridor Corporation, New Delhi where 80% or more Officers/ Employees have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi-2009/O.L. 1/12/2]
SANSAR CHAND, Director (O.L.)

विदेश मंत्रालय

(सीपीवी प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2009

का.आ. 793.—राजनयिक और कोंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री आर. सी. मिश्रा, सहायक को 4 मार्च, 2009 से भारत के प्रधान कोंसलावास, बीरगंज (नेपाल) में सहायक कोंसुलर अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी. 4330/1/2006]
आर. के. पेरिनडिया, अवर सचिव (कोंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. Division)

New Delhi, the 5th March, 2009

S.O. 793.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorize Shri R. C. Mishra, Assistant to perform the duties

of Assistant Consular Officer in the Consulate General of India, Birgunj (Nepal) with effect from 4th March, 2009.

[No. T. 4330/1/2006]
R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2009

का.आ. 794.—राजनयिक और कोंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री पूरण मेहरा, सहायक को 23 मार्च, 2009 से भारत के प्रधान कोंसलावास, हेरात में सहायक कोंसुलर अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी. 4330/1/2006]
आर. के. पेरिनडिया, अवर सचिव (कोंसुलर)

New Delhi, the 23rd March, 2009

S.O. 794.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorize Shri Puran Mehra, Assistant to perform the duties of Assistant Consular Officer in the Consulate General of India, Herat with effect from 23rd March, 2009.

[No. T. 4330/1/2006]
R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2009

का.आ. 795.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा "संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग" नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, के हैदराबाद स्थित कार्यालय जिसके 80% से अधिक अर्थात् लगभग शत-प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है ।

[सं. ई-11011/4/2008-हिंदी]
सतीश चंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 23rd March, 2009

S.O. 795.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language "Use for Official Purposes of the Union" Rule, 1976 the Central Govt. hereby notifies the office of the Projects & Development India Ltd., Hyderabad under the administrative control of the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers whereof more than 80% i.e. about 100% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E-11011/4/2008-Hindi]
SATISH CHANDRA, Jt, Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 796.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को आगे दर्शाई तारीख से लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया है :

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	लाइसेंस के अंतर्गत प्रक्रम संबंध एवं भारतीय मानक सहित	स्वीकृत करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	8994216	मैसर्स माँ महामाया स्टिल्स प्रा. लिमिटेड, प्लाट नं. 52 एण्ड 53 सेक्टर बी, सिरिगिटी इंडस्ट्रियल एरिया, बिलासपुर-495223 (छ. ग.)	आईएस 1786 : 1985 हाय स्ट्रेंथ डिफार्मड बार एण्ड वायर्स	01-01-2009
2.	8997323	मैसर्स सागर इंडस्ट्रीज गांधी मंदिर वार्ड, भाटापारा, (छ. ग.)	आईएस 14543 : 2004 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर	12-01-2009
3.	8994620	मैसर्स क्रिती इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, प्लाट नं. 75-86, सेक्टर 11, पथिमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश	आईएस 13488 : 1992 एमिटिंग पाइप्स सिस्टम	06-01-2009
4.	8997222	मैसर्स दूधनाथ इंडस्ट्रीज, ग्राम बागोटा, जिला छत्तरपुर मध्य प्रदेश	आईएस 14543 : 2004 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर	12-01-2009

1	2	3	4	5
6.	8998325	मेसर्स सेफ टेक्नौ ट्रापीकल (इंडिया) 264 करिया पाथर, राधा कृष्णा वार्ड, मरघाताई रोड, घामापुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	आईएस 2645 : 2003 इंटिग्रल सीमेंट, वाटरप्रूफिंग कम्पाउंड	13-01-2009
7.	8998931	मेसर्स मॅक्नौ इंडस्ट्रिज 632/ए 633, इंडस्ट्रिएल एरिया, उरला, रायपुर-493221 (छ. ग.)	आईएस 14151 भाग 2 1998 सिंप्रेस्लर पाइप्स	13-01-2009
8.	8998426	मेसर्स मालवा कॉक्रिट उद्योग प्रा. लिमिटेड, ग्राम थूना कालान, सिहोर, मध्य प्रदेश	आईएस 458 : 2003 प्रिकास्ट कंक्रीट पाइप्स	14-01-2009
9.	8998224	मेसर्स आसाराम बेवरेजेस गांधी मंदिर वार्ड, शिवपुराई, रायपुर (छ. ग.)	आईएस 14543 : 2004 पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर	19-01-2009
10.	3002625	मेसर्स उजाला इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, 60 सेक्टर सी, इंडस्ट्रिएल एरिया, मण्डीदिप, जिला रायसेन मध्य प्रदेश	आईएस 7098 भाग 1 1997 क्रासलिंक्ड पालीथिलिन इन्सूलेटेड पीवीसी सिएथेड केबल्स	19-01-2009
11.	8999024	मेसर्स एवीएस इंटरप्राइजेस, 49 झोन ए, इंडस्ट्रिएल एरिया, बोराई, जिला-दुर्ग मध्य प्रदेश	आईएस 14543 : 2004 पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर	21-01-2009
12.	3000621	मेसर्स वीणा एक्वा इंडस्ट्रिज, प्रगति नगर, बड़ा अशोक नगर, गुधीयारी, रायपुर (छ. ग.)	आईएस 14543 : 2004 पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर	21-01-2009
13.	3004225	मेसर्स नालवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, तराइमल, भारघोडा रोड, रायगढ़, (छ. ग.)	आईएस 2879 : 2004 मिल्ड स्टील फार मेटल आर्क वेल्डींग इलेक्ट्रोड्स वायर्स	22-01-2009

[सं. केन्द्रीय प्रमाणन/13 : 11]

पी. के. गम्भीर, उपमहानिदेशक (मुहर)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 796.—In pursuance of Sub regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences for the month of December-2008, particulars of which are given in the following schedule :

Sl. No.	Licence No.	Name and address of the licensees	IS No. and title	Grant Date
1	2	3	4	5
1.	8994216	M/s Maa Mahamaya Steels Private Limited, Plot No. 52, and 53, Sector B, Sirigitti Industrial Area, Bilaspur-495223 (C G)	IS 1786 : 1985 Specification for high strength deformed steel bars and wires for concrete	01-01-2009

1	2	3	4	5
2.	8997323	M/s Sagar Industries Gandhi Mandir Ward Bhatapara, Raipur (CG)	IS 14543 : 2004 Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)- Specification	12-01-2009
3.	8994620	M/s Kriti Industries (India) Limited, Plot 75–86, Sector II Pithampur, District : Dhar (Madhya Pradesh)	IS 13488 : 1992 Emitting pipes system	06-01-2009
4.	8997222	M/s Doodhnath Industries Village : Bagouta District : Chattarpur (Madhya Pradesh)	IS 14543 : 2004 Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)-Specification	12-01-2009
5.	3004932	M/s Hind Pharma 11-G Industrial Area, Govindpura Bhopal, (Madhya Pradesh)	IS 9825 : 2003 Chlorine Tablets-Specfication	12-01-2009
6.	8998325	M/s Safe Techno Tropical (India) 264-Kariya Pathar, Radha Krishna Ward, Marghatai Road, Ghamapur, Jabalpur-482001	IS 2645 : 2003 Specification for Intergral Cement Waterproofing Compounds	13-01-2009
07.	8998931	M/s Makknow Industries 632/A 633, Industrial Area, Urla Raipur-493221 (CG)	IS 14151 (Part 2) : 1999 Irrigation Equipment-Sprinkler Pipes- Specification-Part 2 : Quick Coupled Polyethylene Pipes	13-01-2009
08.	8998425	M/s Malva Concrete Udyog Private Limited, Village : Thoona Kalan, Sehore (M P)	IS 458 : 2003 Specification for Precast Concrete Pipes (with and without Reinforcement)	14-01-2009
09.	8998224	M/s Asharam Brevarages Gandhi Mandir Ward Shivpurai, Raipur (C G)	IS 14543 : 2004 Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)-Specification	19-01-2009
10.	3002625	M/s Ujala Electricals Limited 60, SEC C, INDL AREA, Mandideep, District-Raisen	IS 7098 (P1) : 1997 Crosslinked polythylene insulated PVC sheathed cables : Part 1 For working voltage upto and including 1 100 V	19-01-2009
11.	8999024	M/s AVS Enterprises, 49, Zone-A, Industrial Area, Borai, Durg, District : Durg (CG)	IS 14543 : 2004 Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)-Specification	21-01-2009
12.	3000621	M/s Veena Aqua Industries Pragati Nagar, Bada Ashok Nagar, Gudhiyari, Raipur (CG)	IS 14543 : 2004 Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)- Specification	21-01-2009

1	2	3	4	5
13.	3004225	M/s Nalwa Steel and Power Limited, Taraimal, Gharghoda Road, Raigarh (C G)	IS 2879 : 1998 Mild steel for metal arc welding electrodes	22-01-2009

[No. CMD/13 : 11]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 797.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक में संशोधन किया गया है :

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आई एस 2720 (भाग 28) : 1974	1, फरवरी, 2009	28 फरवरी, 2009

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : सीईडी/राजपत्र]

ए. के. सैनी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 797.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the amendment to the Indian Standard, particulars of which is given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 2720 (Part 28) : 1974	1, February, 2009	28 February 2009

Copy of the amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai,, Mumbai and also Branch Offices : Ahemdabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : CED/Gazette]

A. K. SAINI, Sc. 'F' & Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 798.—भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के उप-विनियम (5) के तहत यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ब्यौरे वाले लाइसेन्स प्रदान किए जाते हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लागू तिथि	पार्टी का नाम व पता (कारखाना)	मानक की उपाधि	भामा संख्या भाग/ खंड व वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	6899414	20090119	मैसर्स गणपति ज्वेलर्स, #807, 5वाँ क्रास, 3रा ब्लॉक, राजाजी नगर, बेंगलूर-560010	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999

1	2	3	4	5	6
2.	6899616	20090119	मैसर्स आभूषण दुर्गाडबैल, हुबली-580020 धरवाड, कर्नाटका	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999
3.	6899717	20090119	मैसर्स मनोहर ज्वेलर्स, सं 46, बाजार स्ट्रीट, हलासारु, बेंगलूर-560008	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999
4.	6899818	20090119	मैसर्स हरि ज्वेलर्स, #579, अशोका मोहल्ला, मैसूर-570001	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999
5.	6900874	20090127	मैसर्स गोल्ड मोहुर फूड एण्ड फीड्स, लिमिटेड, सी टी एस सं 4/6, पुणे-बेंगलूर रोड, बंकापुर चौक के पास, हुबली-580024 धरवाड, कर्नाटका	कुक्कट चारा	भामा 1374 : 1992
6.	6901068	20090127	मेसर्स कावेरीपटनम ज्वेलर्स, 55, अशोका रोड, मैसूर-570001	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999
7.	6901169	20090127	मैसर्स गणपति ज्वेलर्स एण्ड डायमण्ड्स, सं 9, के.ई.बी. कार्यालय के नीचे, 1ला मुख्य सड़क आर.पी.सी. ले औट, विजयानगर, बेंगलूर-560010	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999
8.	6900975	20090127	मैसर्स गोल्ड मोहुर फूड एण्ड फीड्स, लिमिटेड, सी टी एस सं 4/6, पुणे-बेंगलूर रोड, बंकापुर चौक के पास, हुबली-580024 धरवाड, कर्नाटका	पशुओं के लिए सम्मिश्रक चारा	भामा 2052 : 1979
9.	6901876	20090129	मैसर्स हाई फ्लै इंडस्ट्रीज, सं 1, हीरोहल्ली, यशवन्तपुर, होब्ली, सुन्कडाकटटे, बेंगलूर-560091	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिए घरेलू गैस स्टोव	भामा 4246 : 2002
10.	6900773	20090127	मैसर्स श्री बालाजी लैन्ड डेवलपर्स, एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सं 49/1, 15 एण्ड 16, एम. एस. आ. बिल्डिंग, ए ई सी. एस ले औट, कुड्लू, बेंगलूर-560068	पैकेजबंद पेयजल (पैकेजबंद मिनरल जल के अलावा)	भामा 14543 : 2004
11.	6901371	20090128	मैसर्स लक्ष्मी गोल्ड पैलेस, सं 34, डी वी जी रोड, बसावनागुडी, बेंगलूर-560004	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999
12.	6901472	20090128	मैसर्स अशोक ज्वेलर्स, #243, रंगास्वामी मंदिर स्ट्रीट, एवेन्यू रोड क्रास, बेंगलूर-560053	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999

1	2	3	4	5	6
13.	6901573	20090128	मैसर्स श्री केशवा ज्वेलर्स, फॉर्ट रोड,चोकपेट, चित्रदुर्ग-588501	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता एवं मार्किंग	भामा 1417 : 1999

[सं. सी. एम. डी. /13 : 11]

पी. के. गम्भीर, उप महानिदेशक (मार्क्स)

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 798.—In pursuance of sub-regulation (5) of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifes the grant of licence particulars of which are given in the following Schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Operative date	Name and Address (Factory) of the Party	Title of the Standard	IS No. Part/ Sec./Year
1	2	3	4	5	6
1.	6899414	20090119	M/s. Ganapathi Jewellers, #807 50th Cross, 3rd Block, Rajaji Nagar, Bangalore-560010	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
2.	6899616	20090119	M/s. Abhushan Durgadbail, Hubli-580020, Dharwad, Karnataka	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
3.	6899717	20090119	M/s. Manohar Jewellers No. 46, Bazar Street, Halasuru, Bangalore-560008	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
4.	6899818	20090119	M/s. Hari Jewellers #579, Ashokar Mohalla, Mysore-570001	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
5.	6900874	20090127	M/s. Gold Mohur Food and Feeds Ltd., CTS No. 4/6, Pune Bangalore Road, Near Bankapur Chowk, Hubli-580024 Dharwad, Karnataka	Poultry feeds	IS 1374 : 1992
6.	6901068	20090127	M/s. Kaveripatnam Jewellers, 55, Ashoka Road, Mysore-570001	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
7.	6901169	20090127	M/s. Ganapati Jewels & Diamonds, No. 9, Below K.E.B. Office, 1st Main Road, R.P.C. Layout, Vijayanagar, Bangalore-560040	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
8.	6900975	20090127	M/s. Gold Mohur Food and Feeds Ltd., CTS No. 4/6, Pune Bangalore Road, Near Bankapur Chowk, Hubli-580024 Dharwad, Karnataka	Compounded feeds for cattle	IS 2052 : 1979
9.	6901876	20090129	M/s. High Fly Industries, No. 1, Herohalli, Yeshwantpur, Hubli, Sunkadakatte, Bangalore-560091	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases	IS 4246 : 2002
10.	6900773	20090127	M/s. Sri Balaji Land Developers & Builders Pvt. Ltd., No. 49/1, 15 & 16, M.S.R. Building, AECS Layout Road, Kudlu, Bangalore-560068	Packaged Drinking Water (Other than packaged Natural Mineral Water)	IS 15543 : 2004

1	2	3	4	5	6
11.	6901317	20090128	M/s. Lakhmi Gold Palace, No. 34, DVG Road, Basavanagudi, Bangalore-560004.	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
12.	6901472	20090128	M/s. Ashok Jewellers, #243, Rangaswamy Temple Street, Avenue Road Cross, Bangalore-560053.	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999
13.	6901573	20090128	M/s. Sri Keshava Jewellers, Fort Road, Chockpet, Chitradurga-577501.	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417 : 1999

[No. CMD/13:11]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 799.—भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम 5 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :–26-10-2008 से 25-11-2008.

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस प्रदान की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	उत्पाद	भा. मा. सं. भाग/ अनु/वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	7887109	18-11-2008	श्री स्वामी समर्थ ज्वेलर्स, नोबल चेम्बर्स,मेन रोड, रत्नागिरी, चिपलुन-415605	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं, के आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा 1417 : 1999
2.	7883404	29-10-2008	मंडोवी कास्टिंग प्रा. लि., प्लॉट नं. 341, कुंदैम इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुंदैम, गोवा-403115	निम्न तन्यता के संरचना इस्पात में पुनर्वेलन हेतु कार्बन इस्पात के ढलवाँ बिलेट इन्गट, बिलेट, ब्लूम व स्लेब-विशिष्टि	भा.मा. 2831 : 2001
3.	7888818	24-11-2008	सेफेक्स फायर सर्विसेस प्लॉट नं. 13 बिलेज-माहिम, तालुका, पालधर, बिडको के सामने, थाने, पालधर-401402	सुवाह्य अग्नि शामक यांत्रिक, झाग किस्म (संचित दाब), विशिष्टि	भा. मा 15397 : 2003
4.	7884608	06-11-2008	व्हीज़ीसी डायमंड प्रा. लि., नाना शंकरसेठ स्मृती बिल्डिंग, 380/382, जगन्नाथ शंकरसेठ रोड, पहला माला, कार्यालय नं. 13, चिरा बाजार, मुम्बई-400000	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा 1417: 1999
5.	7883202	29-10-2008	आकाश ज्वैलर्स 109/110, भेरुमल हाऊस, पहला माला 149, जवेरी बाजार, मुंबई-400002	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता व मुहरांकन	भा.मा 1417 : 1999

1	2	3	4	5	6
6.	7886511	14-10-2008	जॉय अलुक्कास ट्रेडर्स (I) प्रा. लि., देव रूप बिल्डिंग, 36, टर्नर रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा 1417: 1999
7.	7888010	19-11-2008	मुंबादेवी ज्वेल्र्स शॉप नं. 9ए, जे.डी. अपार्टमेंट, तारापूर रोड, चित्रालया, थाणे, बोइसर-401504	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा 1417: 1999
8.	7887210	18-11-2008	प्राईम ज्वेल्स रूम नं. 4, दूसरा माला, सिताराम भवन, 369, जे.एस.एस. रोड, चर्नी रोड, मुम्बई-400002	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा 1417: 1999
9.	7883303	29-10-2008	मल्टी स्टील स्टोर, गेट नं. 146, सप्रोंदे विलेज, कोंडला रोड, थाने, वाडा	कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सान्द्रन इस्पात सरिए और तार की विशिष्टी	भा. मा 1786 : 1985
10.	7886915	17-11-2008	रायकर एस ज्वेल्र्स, शॉप नं. 4, विद्या बिल्डिंग, सिने आयशा के नजदीक, पोंडा, उत्तर गोवा-403401	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा 1417: 1999

[सं. सी एम डी/13 : 11]

पी. के. गम्भीर, उपमहानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 799.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	GOL date	Name and Address (Factory) of the Party	Product	IS No./Part/ Sec. Year
1	2	3	4	5	6
1.	7887109	18-11-2008	Shree Swami Samarth Jewellers Nobles Chambers, Main Road, Ratnagiri, Chiplun-415605	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking Specification	IS 1417 : 1999
2.	7883404	29-10-2008	Mandovi Casting Pvt. Ltd., Plot No. 341, Kundaim Indl. Estate, Kundaim, Goa-403115	Carbon Steel Cast Billet Ignots, Billets, Blooms and Slabs For Re-rolling into Low Tensile Structural Steel-Specification	IS 2831 : 2001
3.	7888818	24-11-2008	Safex Fire Services Plot No. 13, Village Mahim, Taluka Palghar, Opp. Bidco. Thane, Palghar-401402	Portable Fire Extinguisher Mechanical Foam Type (Stored Pressure) Specification	IS 15397 : 2003
4.	7884608	06-11-2008	VGC Diamond Pvt. Ltd., Nana Shankarseth Smriti Bldg., 380/382 Jaganath Shankarseth Road, 1st Floor, Office No. 13, Chira Bazar, Mumbai-400000	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking Specification	IS 1417 : 1999

1	2	3	4	5	6
5.	7883202	29-10-2008	Akash Jewellers 109/110, Bherumal House, 1st floor, 149, Zaveri Bazar, Mumbai-400002	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking Specification	IS 1417 : 1999
6.	7886511	14-11-2008	Joy Alukkas Traders (I) Pvt. Ltd. Dev. Rup Building, 36, Turner Road, Bandra (W) Mumbai-400050	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking Specification	IS 1417 : 1999
7.	7888010	19-11-2008	Mumbadevi Jewellers Shop No. 9A, J. D. Apartment, Tarapur Road, Chitralaya, Thane, Boisar-401504	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking Specification	IS 1417 : 1999
8.	7887210	18-11-2008	Prime Jewels R. No. 4, 2nd Floor, Sitaram Bhavan 369, J.S.S. Road, Charni Road, Mumbai-400002	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Finenessw and Marking Specification	IS 1417 : 1999
9.	7883303	29-10-2008	Multi Steel Store Gat No. 146, Sapronde Village, Kondla Road, Thane, Wada	Specification for high strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement	IS 1786 : 1985
10.	7886915	17-11-2008	Raikar S. Jewellers Shop No. 4, Vidhya Bldg., Near Cine Aisha, Ponda, North Goa-403401	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking Specification	IS 1417 : 1999

[No. CMD/13 : 11]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

का.आ. 800.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :–

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	
1.	आई.एस 6955 : 2008 भूमि और चट्टान भरे बांधों के लिए उपसतह का अन्वेषण-रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	आई.एस. 6955 : 1973 भूमि और चट्टान भरे बांधों के लिए उपसतह का अन्वेषण-रीति संहिता	30-12-2008

इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे, तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ डब्ल्यू आर डी 5/टी-11]

ए. एम. डेविड, वैज्ञा. ई, निदेशक(जल संसाधन विभाग)

New Delhi, the 24th March, 2009

S.O. 800.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No., Title and Year of the Indian Standards Established	No. and Year of the Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 6955: 2008 Subsurface Exploration for Earth and Rookfill Dams—Code of Practice (First Revision)	IS 6955 :1973 Subsurface Exploration for Earth and Rockfill Dams—Code of Practice	31-12-2008

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: WRD 5/T-11]

A. M. DAVID, Sc. E, Director (Water Resoures Deptt.)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

का.आ. 801.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए है को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस मंजूरी तिथि	पार्टी का नाम एवं पता (कारखाना)	उत्पाद	आई.एस. सं./भाग/खण्ड वर्ष
1.	7901578	20-1-2009	क्रयोन कनेक्ट्स सीटीएस सं. 1087, पहला माला, मनोहर औद्योगिक इस्टेट, चिंचोली बंदर रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-400064	पैकेजबंद पीने का पानी (पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	भाग 14543 : 2004
2.	7901679	20-1-2009	आदित्य अग्रो इण्डस्ट्रीज 301, नवतेज कम्पलेक्स, इंडियन ऑयल पेट्रोल, पंप के नजदीक, पुराना आगरा रोड, दत्त मंदिर, देवपुर, जिला धुले-424005	पैकेजबंद पीने का पानी (पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	भाग 14543 : 2004
3.	7902075	20-1-2009	दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट सं. III) गेट सं. 47, 47/2, 48 से 50, 55 से 66, 69, 70, 72 और 73, जलगांव-औरंगाबाद स्टेट हाईवे, पोस्ट गणेगांव, जामनेर, जिला जलगांव-425114	सिंचाई उपस्कर-छिद्रकाव पाईप- भाग 2 : तुरत युग्मन पॉलिथिलीन पाईप	भाग 14151 : भाग 2 : 1999

[सं. केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13 : 11]

पी. के. गम्भीर, उपमहानिदेशक

New Delhi, the 25th March, 2009

S.O. 801.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Licence grant date	Name and Address (Factory) of the Party	Product	IS No. Part/ Sec. Year
1.	7901578	20-1-2009	Kryon Connects C.T.S. No. 1087, First Floor, Manohar Industrial Estate, Chincholi Bunder Road, Malad (W), Mumbai-400064	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)	IS 14543 : 2004
2.	7901679	20-1-2009	Aditya Agro Industries 301, Navtej Complex, Near Indian Oil Petrol Pump Old Agra Road, Datta Mandir, Deopur Distt. Dhule-424005	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)	IS 14543 : 2004
3.	7902075	20-1-2009	The Supreme Industries Limited (Unit No. III) Gat No. 47, 47/2, 48 to 50, 55 to 66, 69, 70, 72 and 73, Jalgaon-Aurangabad State Highway, at Post Gadegaon Jamner Distt. Jalgaon-425114	Irrigation Equipment— Sprinkler Pipes Part 2 : Quick Coupled Polyethylene Pipes	IS 14151 : Part II : 1999

[No. CMD/13 : 11]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

का.आ. 802.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियमन, 1988 के विनियमन 5 के उपविनियमन (6) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित ब्यौरे वाले लाइसेंन्स उनके आगे दी गई तारीखों से रद्द किए जाते हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	अनुज्ञप्ति संख्या	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता	रद्द किए अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत वस्तु/प्रक्रिया के साथ संगत भारतीय मानक	रद्द करने की तारीख
1.	6882797	मैसर्स एस. आर. मिनरल्स, बेंगलूर	पैकेजबंद पेय जल, भा.मा. 14543 : 2004	2009 01 23

[सं. सी एम डी/13 : 13]

पी. के. गम्भीर, उपमहानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 25th March, 2009

S.O. 802.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licence particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standard covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1.	6882797	M/s. S.R. Minerals, Bangalore	Packaged drinking water, IS 14543:2004	2009-01-23

[No. CMD-13:13]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

का.आ. 803.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि/335 तारीख 27 दिसम्बर, 2008 का निरीक्षण कलक्टर, सरगुजा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता–700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर–495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर–495006 (छत्तीसगढ़) को भेजेंगे ।

अनुसूची

जगन्नाथपुर ओ.सी.पी. महान III और IV कोल ब्लॉक, भटगांव क्षेत्र जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

रेखांक संख्या - एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)भूमि/335 तारीख 27 दिसम्बर, 2008 (पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

क. राजस्व भूमि

क्रम सं.	ग्राम का नाम	ग्राम नम्बर	पटवारी हल्का नम्बर	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	जगन्नाथपुर	93	14	प्रतापपुर	सरगुजा	350.00	भाग
2.	पम्पापुर	94	14	प्रतापपुर	सरगुजा	15.00	भाग
3.	चउरा	35	7	राजपुर	सरगुजा	315.00	भाग
4.	परसवारकला	36	7	राजपुर	सरगुजा	20.00	भाग
				कुल क्षेत्र :- 700.00 हेक्टर (लगभग)			
				या 1729.70 एकड़ (लगभग)			

सीमा वर्णन :-

क-ख रेखा ग्राम पम्पापुर में "क" बिन्दु से आरंभ होती है और ग्राम पम्पापुर एवं जगन्नाथपुर में सड़क के समानान्तर और समीप से गुजरती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग-घ रेखा ग्राम जगन्नाथपुर, बिन्दु "ग" और ग्राम चउरा से गुजरती है और ग्राम चउरा में "घ" बिन्दु पर मिलती है ।

घ-ङ रेखा ग्राम चाउरा के पूर्वी भाग और ग्राम परसवारकला से गुजरती है और ग्राम परसवारकला के उत्तरी भाग में बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-क रेखा ग्राम परसवारकला और पम्पापुर के उत्तरी भाग से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/5/2009-पी.आर.आई.डब्ल्यू-I]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 26th March, 2009

S.O. 803.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing number SECL/BSP/GM (Plg)/Land/335 dated 27th December, 2008 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Collector, Surguja (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the officer-in-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh), within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Jagannathpur OCP, Mahan III & IV Coal Block, Bhatgaon Area District Surguja (Chhattisgarh)

Plan bearing number SECL/BSP/GM (Pig.)/Land/335 dated 27-12-2008

(Showing the land notified for prospecting)

A. Revenue Land

Sl. No.	Name of village	Village No.	Patawari halka number	Tahsil	District	Areas in Hectares	Rem.
1.	Jagannathpur	93	14	Paratappur	Surguja	350.00	Part
2.	Pumpapur	94	14	Paratappur	Surguja	15.00	Part
3	Chaura	35	7	Rajpur	Surguja	315.00	Part
4.	Paraswarkala	36	7	Rajpur	Surguja	20.00	Part

Total :—700.00 hectares (Approximately).

OR 1729.70 acres (Approximately).

Boundary description :

A-B Line starts from point 'A' in village Pumpapur and passes parallel and adjacent to road in villages Pumpapur & Jagannathpur and meets at point 'B'.

B-C-D Line passes through village Jagannathpur, point 'C' and village Chaura and meets at Point 'D' in village Chaura.

D-E Line passes through eastern part of village Chaura and Paraswarkala and meets at point 'E' in northern part of village Paraswarkala.

E-A Line passes through northern part of village Paraswarkala and Pumpapur and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/5/2009-PRIW-I]

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

का.आ. 804.—भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 14 जून, 2008 को पृष्ठ 2933 से 2934 पर प्रकाशित कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1386 तारीख 12 जून, 2008 में–

1. पृष्ठ संख्या 2933 पर, कॉलम 1 में–

(i) क्रम संख्या 51 में प्रविष्टि "तहसील वानी" के स्थान पर "तहसील वणी" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ii) क्रम संख्या 53 के कॉलम 1 में–

प्रविष्टि "जूरी ओपन कास्ट" के स्थान पर "जुनाड ओपन कास्ट" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(iii) क्रम संख्या 53 के कॉलम 2 में–

प्रविष्टि "जूंद ओपन कास्ट" के स्थान पर "जुनाड ओपन कास्ट" प्रविष्टि रखी जाएगी।

2. पृष्ठ संख्या 2934 पर–

(i) क्रम संख्या 56 के कॉलम 1 व 2 में –

प्रविष्टि "के खानी" के स्थान पर "कुम्भारखानी" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(ii) क्रम संख्या 57 के कॉलम 1 में–

प्रविष्टि "मुख्य प्रबंधक" के स्थान पर "उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक/क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 43022/5/93-पीआरआईडब्ल्यू-I]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2009

S.O. 804.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1386 dated the 12th June, 2008, published in pages 2933 and 2934 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th June, 2008 :—

At page 2934—

(a) at Sl. No. 53, in column 1,
for the word "Jouri" the word "Junad" shall be substituted.

(b) at Sl. No. 56, in columns 1 and 2,
the words, "K Khani" shall be substituted by "Kumbhar Khani".

(c) at Sl. No. 57, in column 1,
the words "Chief General Manager" the words "Deputy Chief Personnel Manager/Area Personnel Manager" shall be substituted.

[F. No. 43022/5/93-PRIW-I]

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

का.आ. 805.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 365 तारीख 3 फरवरी, 2009 द्वारा जो भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 14 फरवरी, 2009 में प्रकाशित की गई थी, का संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में :–

1. राजस्व भूमि के सारणी में :– "पटवारी सार्किल" के स्थान पर "पटवारी सर्किल" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2. राजस्व प्लाटों की सूची के शीर्ष पंक्ति में :– "आर्जित" के स्थान पर "अर्जित" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
3. ग्राम दुलंगा के प्लाटों की सूची में :– प्लाट संख्या "862, से 864" के स्थान पर प्लाट सं. "862 से 864" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. ग्राम माझापाड़ा के प्लाटों की सूची में :– प्लाट संख्या "556 से 678" के स्थान पर प्लाट सं. "656 से 678" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. सीमा वर्णन में :–
रेखा ख-ग के सीमा वर्णन में :– ग्राम कुन्तीझरिया (ग्राम सं. 113) के उत्तरी पूर्व भाग में "उत्तरी पूर्व" के स्थान पर "उत्तर पूर्व" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 43015/7/2006/पीआरआईडब्ल्यू-I(जिल्द-II)]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

का. आ. 806.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुन्द्रा (गुजरात) से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एफ. ए. बाबी. सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड एच.पी.सी.एल. कंडला टर्मिनल -2, बंग्लोझ -1, खारी रोहर, गांधीधाम -370 240, कच्छ, (गुजरात), को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : रापर	जिला : कच्छ		राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1 भीमासर		826		00	14	67
		2190	1	00	00	71
		2185	2पी	00	06	11
2 आदेसर		634	2	00	01	85
3 देदरवा		635	1	00	37	00
		74	1	00	16	98
4 कीडीयानगर		590	3	00	07	00
		590	2	00	16	67
		589	3	00	19	00
		589	1	00	13	00
		585		00	02	85

[फा. सं. आर-31015/34/2008-ओ.आर.-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 30th March, 2009

S. O. 806.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Mundra (Gujarat) to Delhi, a pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri F. A. Babi Competent Authority, Mundra-Delhi Petroleum Product Pipeline, Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL Kandla terminal-2, Bungalow No.-1, Khari Rohar, Gandhidham -370 201, Kutch (Gujarat).

SCHEDULE

Taluka : RAPAR **District : KUTCH** **State : GUJARAT**

Sr. No.	Name of Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area		
				Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
1	BHIMASAR	826		00	14	67
		2180	1	00	00	71
		2185	2P	00	06	11
2	ADESAR	634	2	00	01	85
		635	1	00	37	00
3	DEDARAVA	74	1	00	16	98
4	KIDIYANAGAR	590	3	00	07	00
		590	2	00	16	67
		589	3	00	19	00
		589	1	00	13	00
		585		00	02	85

[F. No. R-31015/34/2008-O.R.-II]
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का. आ. 807.— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3277 तारीख 12 दिसम्बर, 2008 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं को प्रदाय हेतु के.जी.डी. 6 (के.जी.डी.डब्ल्यू.एन-98/3) खोज ब्लॉक से आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तलारेवू मण्डल के अन्तर्गत गडीमोगा गाँव के नजदीक ऑनशोर टर्मिनल तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यनम क्षेत्र में अडविपोलम गाँव से होते हुए, मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 05 जनवरी, 2009 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं.

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अत: अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

क्षेत्र : यनम | क्षेत्र : यनम | केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी

गांव का नाम	सर्वे सं./सब डिविजन सं.	आर ओ यू अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि एयर
1	2	3	4	5
1) अडविपोलम	एफ/11/22/1	0	41	15
	एफ/11/10/2	0	96	23
	एफ/11/10/1	0	00	19
	एफ/11/10/1	0	82	42
	एफ/11/9/2	0	91	08
	एफ/11/9/1	0	44	43
	एफ/11/8/5	0	09	78
	एफ/11/8/4	1	03	98
	एफ/13/9	1	12	40
	एफ/13/8/6	0	02	14
	एफ/13/8/7	0	16	95
	एफ/13/10/1	0	13	46
	एफ/13/10/3	0	57	12
	एफ/13/10/4	0	23	53
	एफ/13/10/5	0	19	97
	एफ/13/11/5	0	19	41
	एफ/13/11/3	0	48	84
	एफ/13/11/2	0	51	81
	एफ/14/11/2	0	05	56
	एफ/14/11/1	0	06	81
	एफ/15/12/1	1	87	74
	एफ/15/11	1	04	13
	एफ/15/10/2	0	45	89
	एफ/15/10/1	0	32	78
	एफ/15/7/1	0	71	33
	एफ/15/6/3	0	18	88
	एफ/15/6/2	0	49	89
	एफ/15/6/1	0	41	88
	एफ/15/5/1	0	93	58
	एफ/13/11/4	0	07	39
	एफ/13/8/8	0	06	30

1128 GI/09—4

1	2	3	4	5
	एफ/13/10/2	0	08	35
	जी/5/2	0	15	40
	एफ/13/11/1	0	1	55
	जी/5/1ब्लाक & जी/3/1ब्लाक	2	71	81
	जी/2/6/1	0	30	30
	एफ/15/1	0	03	10

[फा. सं. एल-14014/30/2008-जी.पी.]

के.के.शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 2009

S. O. 807.— Whereas by a notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 3277 dated the 12th December, 2008, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from exploration block KGD6 (KG-DWN-98/3) to the onshore terminal near Gadimoga Village in Tallarevu Mandal under East Godavari District of Andhra Pradesh, for supply to consumers in various parts of the country, a pipeline should be laid passing through Adavipolam Village of Yanam region in the Union Territory of Puducherry, by M/s Reliance Industries Limited;

And, whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 05th February, 2009;

And, whereas, no objections received from the public to the laying of the pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And, whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Industries Limited, free from all encumbrances.

Schedule

Region : Yanam	Region : Yanam	Union Territory of Puducherry		
Village	Survey No. / Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hectare	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Adavipolam	F/11/22/1	0	41	15
	F/11/10/2	0	96	23
	F/11/10/1	0	00	19
	F/11/10/1	0	82	42
	F/11/9/2	0	91	08
	F/11/9/1	0	44	43
	F/11/8/5	0	09	78
	F/11/8/4	1	03	98
	F/13/9	1	12	40
	F/13/8/6	0	02	14
	F/13/8/7	0	16	95
	F/13/10/1	0	13	46
	F/13/10/3	0	57	12
	F/13/10/4	0	23	53
	F/13/10/5	0	19	97
	F/13/11/5	0	19	41
	F/13/11/3	0	48	84
	F/13/11/2	0	51	81
	F/14/11/2	0	05	56
	F/14/11/1	0	06	81
	F/15/12/1	1	87	74
	F/15/11	1	04	13
	F/15/10/2	0	45	89
	F/15/10/1	0	32	78
	F/15/7/1	0	71	33
	F/15/6/3	0	18	88
	F/15/6/2	0	49	89
	F/15/6/1	0	41	88
	F/15/5/1	0	93	58
	F/13/11/4	0	07	39
	F/13/8/8	0	06	30

1	2	3	4	5
	F/13/10/2	0	08	35
	G/5/2	0	15	40
	F/13/11/1	0	01	55
	G/5/1pt & G/3/1pt	2	71	81
	G/2/6/1	0	30	30
	F/15/1	0	03	10

[F. No. L-14014/30/2008-G.P.]
K.K.SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का. आ. 808.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुन्द्रा (गुजरात) से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एफ. ए. बाबी. सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड एच.पी.सी.एल. कंडला टर्मिनल -2, बंग्लोझ -1, आरी रोहर, गांधीधाम -370 240, कच्छ, (गुजरात), को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : मुन्द्रा	जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात			
क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल	
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	धब	दरिया व सर्वे नंबर 169 के बीच का भूमी		01	97	89
		169		00	46	57
2	मुन्द्रा	141		09	74	58

[फा. सं. आर-31015/32/2004-ओ.आर.-II]
ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 2009

S. O. 808.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Mundra (Gujarat) to Delhi, a pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri F. A. Babi Competent Authority, Mundra-Delhi Petroleum Product Pipeline, Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL Kandla terminal-2, Bungalow No.-1, Khari Rohar, Gandhidham -370 201, Kutch (Gujarat).

SCHEDULE

Taluka : MUNDRA		District : KUTCH		State : GUJARAT		
				Area		
Sr. No.	Name of Village	Survey No.	Sub-Division No.	Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
1	DHRAB	Area in between Sea and Survey number 169		01	97	89
		169		00	46	57
2	MUNDRA	141		09	74	58

[F. No. R-31015/32/2004-O.R.-II]
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का. आ. 809.—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा (3) की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए, या अगले आदेश जारी होने तक या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है:—

		से	तक
1.	श्रीमती विलासिनी रामाचन्द्रन, अपर सचिव (व्यय), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	26.3.2009	25.3.2011

2.	श्री बिजॉय चटर्जी, सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	2.01.2009	1.01.2011
3.	डॉ0 यू.डी. चौबे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल (इंडिया) लि0	1.2.2009	31.1.2011
4.	श्री अरूण बालाकृष्णनन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	1.4.2009	31.3.2011
5.	श्री डी.एन. नरसिम्हा राजू, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	26.3.2009	25.3.2011

[फा. सं. जी.-35012/2/91-वित्त-II]

एस. सी. दास, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 2009

S. O. 809.— In exercise of the powers conferred by Clause (c) Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints the following officers as Members of the Oil Industry Development Board for the period shown against their names or until further orders or retirement, whichever is earlier :

		From	**To**
1.	Smt. Vilasini Ramachandran, Addl.Secretary(Expenditure) Deptt.of Expenditure, Ministry of Finance	26.3.2009	25.3.2011
2.	Shri Bijoy Chatterjee, Secretary, Deptt.of Chemicals & Petrochemicals, M/o Chemicals & Fertilizers	2.01.2009	1.01.2011
3.	Dr. U.D.Choubey, CMD, GAIL (India) Ltd.	1.2.2009	31.1.2011
4.	Shri Arun Balakrishnan, CMD, HPCL	1.4.2009	31.3.2011
5.	Shri D.N.Narasimha Raju, Joint Secretary, M/o Petroleum & Natural Gas	26.3.2009	25.3.2011

[F. No. G-35012/2/91-Fin.-II]

S. C. DAS, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ. 810.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बनारस स्टेट बैंक लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 102/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-03-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/103/2001-आई आर(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 810.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 102/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Lucknow, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of The Benaras State Bank Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 9-03-2009.

[No. L-12012/103/2001-IR (B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT

Shri N. K.Purohit,
Presiding Officer

I.D. No. 102/2001

Ref No. L-12012/103/2001-IR(B.I) dated: 20-06-2001

BETWEEN

Shri B.S, Tripathi, District Secretary
Benaras State Bank Staff Association
After merger: Bank of Baroda Staff Association
C/o The Benaras State Bank Limited
Regd. Office- D-52/1, Luxa Road
Varanasi-221001.
(Espousing case of Sh. Vinod Bihari Lal)

AND

Assistant General Manager (Personnel)
The Benaras State Bank Limited
After amalgamation: Bank of Baroda
Kaushal Puri
Kanpur.

AWARD

18-2-2009

1. By order No. L-12012/103/2001-IR(B.I) dated: 20-06-2001 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred following industrial dispute between Shri B. S. Tripathi, District Secretary Benaras State Bank Staff Association, C/o The Benaras State Bank Limited, Regd. Office- D-52/1, Luxer Road, Varanasi-221001 (espousing case of Sh. Vinod Bihari Lal) and Assistant General Manager (Personnel), the Benaras State Bank Limited, after amalgamation : Bank of Baroda, Kaushal Puri, Kanpur for adjudication :

The reference under adjudication is as under :

"क्या सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड वाराणसी द्वारा कर्मकार श्री विनोद बिहारी लाल, क्लर्क-कम-गोडाउन कीपर को दिनांक 31-10-1994 से सेवानिवृत होने के बाद पेंशन व अन्य हित लाभ न देना न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

2. It is admitted case of the parties is that the workman was employed as Clerk-cum-Godown Keeper in Benares State Bank Ltd. (after amalgamation Bank of Baroda) and posted at Birahana Road, Kanpur branch. The workman was placed under suspension by the Bank and was served upon two charge sheets dated 1/6-7-76 and 04-09-78. In this connection, a FIR was lodged by the Bank with the PS, Pheel Khana, Kanpur, which resulted into institution of a case against the workman in December, 1976 which is still pending in the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur. During suspension period, the workman retired on 31-10-94, on attaining age of superannuating. After retirment, the Bank released Provident Fund and Gratuity on 04-04-95 and 31-01-97, respectively, but did not release his pension.

3. The workman in its Statement of Claim has alleged that the Bank inspite of issuing two charge sheets, never instituted any inquiry against him so far and when he got retired during continuance of his suspension, he has not been paid terminal benefits i.e. leave enchasment and increments which fell dues prior to and during the period of suspension apart from pension. The workman has submitted that after making several representations regarding non-payment of pension and other dues, the management of the Bank responded vide their letter dated 30-10-98 to release pension on completion certain formalities, but it did not release any pension to the workman, even after complying with the directions of the Bank, by the workman, vide his letter dated 12-11-98. The workman has further stated that in concillation proceedings before ALC (C), Kanpur the Bank pleaded that the pension of the workman was withheld in terms of Regulation 46, 47 & 48 of Benaras State Bank Ltd. (Employees) Pension Regulation , 1995, whereas it has been opposed by the workman with a plea that he was entitled for the same in terms of Regulation 46. Thus, the workman has submitted that he is entitled for pension in terms of Regulation 46 of

Benaras State Bank Ltd. (Employees) Pension Regulation, 1995 and the Bank , after his superannuation, is under obligation to allow enchashment of earned leave and other terminal benefits due to him, therefore, he has prayed that the management of the Bank be directed to release pension to the workman w.e. f. 01-11-1994 and pay other terminal benefits/dues, due to him with interest.

4. The management of Bank in its written statement and subsequent additional written statement has submitted that although the departmental proceedings against the workman were initiated with the issue of the charge sheet but same could not proceed further in terms of provisions contained in section 19.4 of the Bipartite Settlement, which prohibits continuance of departmental proceedings till the pendency of judicial proceedings on the same issue. Regarding non-release of pension to the workman the management of the Bank has stated that as Regulation 42 of the Benaras State Bank Ltd. (Employee) Pension Regulation 1995, pension is subject to future good conduct, which is implied condition of every grant of pension and its continuance under this Regulation and issue of charge sheet is a proof that the workman is prima facie guilty of grave misconduct. Also, Regulation 43 & 44 empowers the Competent Authority to withhold or withdraw pension in full or in part whether permanently or a specified period, if pensioner is convicted for serious crime or is found guilty of grave misconduct and since the criminal proceedings against the workman could not be completed at the time of his retirement and stilll pending, the workman could not be awarded pension. The management has also mentioned provisions contained in Regulation 48 of pension Regulation 1995, which provides that the Competent Authority is empowered to recover the pecuniary losses caused to the Bank after completion of departmental or judicial proceedings even after retirement of the employee. Over Regulation 46, the management of the Bank has mentioned that it provides for payment of provisional pension, if employee is superannuated during the pendency of departmental or judicial proceeding , but in that case gratuity shall be paid, but in the case of the workman gratuity has been paid and Bank had no option but to withhold the pension till the pendency of the criminal proceedings in order to recover the amount of loss from the workman in terms of Regulation 48 of Pension Regulation. Thus, the management of the Bank has prayed that in view of the regulations the workman is not entitled for any relief in the present reference order.

5. The workman has filed its rejoinder alleging therein that the provisions of Regulation 45 do not apply to him since at no point of time he was an officer, but all through his service he was workman as defined u/s 2(s) of I.D. Act, 1947. He has also alleged that the provisions of Regulation 43 & 44 do not apply in his as he has not been convicted by any Court of law and also issuance of charge sheet only does not imply that employee concerned is guilty in absence of any proper inquiry. The workman has also disputed submissions of the management in respect Regulation 46 and has submitted that the said Regulation does not lay down withholding of Gratuity, instead its provisions makes him entitled for the pension. Therefore, the workman has once again reiterated his prayer, in the claim statement, of awarding his pension and other terminal benefits, on the ground that he has not been found guilty or grave misconduct or negligence of criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during period.

6. The parties have filed relevant documents in support of their claim, including photo copy of letters, orders, receipts of payment and Pension Regulation. The workman examined itself in support of averments made by him whereas the management of the Bank of Baroda examined Shri B.R. Das, Manager in support of its pleadings.

7. Heard the arguments of the learned representatives of the parties and perused evidence on record.

8. The learned representative on behalf of the workman has contended that it was imperative on the part of the opposite party to release pension & leave encashment of the workman after his superannuation on 31-10-94, but the Bank did not release his pension &leave encashment arbitrarily. When the workman made representation, he was advised by the Bank to complete certain formalities as required in its letter dt.30-10-98 & despite compliance of the direction & completion of required formalities by the workman vide his letter dt. 12-11-98, the bank has not released his pension so far. He has further contended that the workman is entitled for pension in terms of Regulation 46 of Regulations 1995.

9. In reply, the learned representative on behalf of the bank has urged that the workman was charge sheeted and place under suspension for grave misconduct and an FIR was also lodged against him for alleged charges which resulted in the institution of a criminal case which is still pending against him, therefore, the workman is prima-facie guilty of grave misconduct and as such under Regulation 42 &44 of the Regulation 1995, the competent authority is empowered to withhold the pension of the workman. He has further urged that provisional pension can be given under regulation 46 but in that case gratuity shall not be paid whereas the workman has already been paid the amount of gratuity thus bank has no option but to withhold the pension till the pendency of the criminal proceedings & disciplinary proceedings against the workman.

10. I have given my thoughtful consideration on rival submissions of both the sides.

11. It is not disputed that the workman was working as Clerk-cum-Godown Keeper in Benaras State Bank Ltd. at Birhana Road, Kanpur branch when he was placed under suspension on 14-4-76 in connection with alleged misconduct and FIR was also filed against him in the Police Station, Foelkhana, Kanpur in the year 1976 and criminal

case is still pending in the court of Chief Metropolitan Magistrate. It is also not disputed that workman was charge sheeted vide charge sheet dtd. 6-7-76 and 4-9-78 for alleged charges in the FIR and the disciplinary proceedings are pending. It is also not disputed that subsequent to the retirement of the workman on 31-10-94, the Bank has released his Provident Fund and gratuity on 4-4-95 & 31-1-07 respectively, but did not release his pension so far.

12. The workman in his statement on oath has stated that on his request to release his terminal dues, vide his letter dtd. 8-11-94 the Bank has released his Provident Fund vide its letter dtd. 4-4-95 but in connection with release of his pension, he was required to complete certain formalities vide Bank's letter dtd. 30-10-98. He has further stated that despite completion of the required formalities vide his letter dtd. 12-11-98, the bank did not release his pension though he is entitled for the same in terms of regulation 46 by Regulation 1995. In cross-examination he has admitted that he has received the amount of GPF and Gratuity.

13. In rebuttal, the management witness Sh. B.R. Das, Manager, Bank of Baroda has stated that pension is subject to future good conduct and the charge sheet pending against the workman is a proof that he is prima-facie guilty of grave misconduct. He has further stated that gratuity is not payable to and employee who commits a gross misconduct. However, the management of erstwhile Benaras State Bank Ltd. by mistake has paid the gratuity to the workman. He has further stated that bank has to recover the loss from the workman incurred due to gross misconduct committed by the workman after completion of criminal and departmental proceedings. He has also stated that as per provisions of the Regulation 1995, the employee who wants his pension, is entitled to get only his own share of Provident Fund but the workman has received whole amount of the shares of the employee & employer, thus, he is not entitled for pension. If the workman wants to receive pension, he should have deposited the employer's share of Provident Fund alongwith 6% interest but workman has not done so.

14. The question which however, arises for consideration is as to whether during pendency of disciplinary proceedings for alleged grave misconduct and criminal proceedings for alleged charges, the workman is entitled to get pension and other retiral benefits as claimed by him.

15. In this regard Regulation 42 to 49 under chapter X of the Regulation 1995 have been referred during course of arguments by both the sides. Regulation 42 envisages that future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension. Regulation 43 empowers the competent authority to withhold or withdraw pension or a part thereof and if the workman is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct. Regulation 45 envisages that if the competent authority considers that pensioners is prima facie guilty of grave misconduct, it shall, before passing an order follow the procedure specified in the BSB Officer Employees (Disciplinary and Appeal) Regulation 1986 or in settlement, as the case may be. Regulation 46 provides for provisional pension to an employee who has retired on attaining the age of superannuation and against him any departmental or judicial proceedings are still pending. As per Sub- regulation 2 of the above Regulation 46, if, provisional pension has been allowed to the employee, in that case, the gratuity shall not be paid to such employee until conclusion of the proceedings against him. The gratuity shall be paid on conclusion of the proceedings subject to the decision of the proceedings and any recovery to be made from an employee shall be adjusted against the amount of gratuity payable.

16. In view of the above provisions of Regulation, 1995 if, any departmental or judicial proceedings are pending, the competent authority may withhold the pension. Although provisional pension may be allowed, but in that case the employee will not be entitled for gratuity. In present case admittedly, the workman has received the gratuity amount therefore, he can not take advantage of provisional pension and gratuity simultaneously. It is not the case of the workman that he has refunded the amount of gratuity received by him. Since, criminal proceedings and disciplinary proceedings are still pending, therefore, subject to the out come of the above proceedings, the workman is not entitled to get the pension or provisional pension at this stage.

17. During the course of argument the attention has been drawn on photo copies of the letter issued by the bank dtd. 4-4-95 (C-5/3) and 30-10-98 (C-5/4) issued to the workman. Aforesaid letters reveal that in reference to the workman's letter dtd. 8-11-94, it was intimated to him that he had opted proposed pension scheme of the bank therefore, in terms of circular dtd. 2-4-94 mentioned therein, he was entitled to receive only his own share in Provident Fund account since creation of pension fund and pension trust was in process, employees and employer shares were released to the workman and he was advised to refund the bank's contribution in his Provident Fund account to the pension trust with simple interest. It was categorically stated that after refunding the bank's contribution in the bank's trust the workman will be eligible to join the pension scheme. The workman has neither pleaded nor stated in his statement on oath that he had refunded the Bank's contribution in the Provident Fund account as required in the aforemention letter of the Bank dtd. 4-4-95. Thus, the workman is not entitled to get pension on the basis of aforesaid letters.

18. In view of the above discussion since disciplinary proceedings and judicial proceedings are pending against the workman and the workman has already received the amount of gratuity payable to him, subject to the out-come of the above proceedings, he is not entitled

to get pension or provisional pension under regulation 46 of the Regulation 1995. In peculiar facts and circumstances of this case, the withholding of the pension of the workman can not be said to be unjustified.

19. So far as other retiral benefits are concerned, admittedly, the workman has already received the amount of Provident Fund and Gratuity. Apart from pension, the workman has also claimed amount of leave encashment and other retiral benefits. It is not the case of the management that in case any recovery is to be made as a out-come of the disciplinary proceedings or criminal proceedings against the workman, for the losses incurred by the bank, the same is to be recovered from retiral benefit other than pension. As per pleadings and evidence of the management witness such amount is to be recovered from the pension of the workman. The learned representative of the management has failed to point out any rule of regulation which empowered the management to withhold amount of leave encashment due at the time of superannuation of the workman on the ground of pendency of criminal case or disciplinary proceedings against the workman.

20. Accordingly, subject to the out-come of the judicial proceedings and disciplinary proceedings pending against the workman, he is not entitled to get pension or provisional pension as claimed by him. However, the workman is entitled to get amount of leave encashment due at the time of his superannuation. The opposite party is directed to release the same with in two months from the date of publication of the award. The reference under adjudication is answered accordingly.

21. Award as above.

Lucknow

N. K. PUROHIT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ 811.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, उदयपुर (राज.) के पंचाट (संदर्भ संख्या 2/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-03-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/84/2004-आई आर(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 811.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 02/2004) of Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Udaipur, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Mewad Anchalik Gramin Bank and their workmen, received by the Central Government on 9-03-2009.

[No. L-12012/84/2004-IR (B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

श्री महेश व्यास पिता पन्नालाल जी व्यास,
निवासी जिंक स्मेलटर चौराहा देवारी, उदयपुर

.....प्रार्थी

विरुद्ध

श्री चेयरमेन, मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक,
22, गोविन्दपुरा कालोनी, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर

.....विपक्षी

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से :- श्री सी. पी. शर्मा

विपक्षी की ओर से:- श्री बी. एल. गुप्ता

पंचाट

दिनांक 13 फरवरी, 2009

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-12012/84/2004 (आई आर/बी-1) दिनांक 10-6-04 के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया :-

Whether the workman Sh. Mahesh Vyas S/o Sh. P. L. Vyas is a workman as per Sec. 2 (s) of the I.D. Act? If so, whether the termination of service w.e.f. 1-6-03 is justified? If not, to what relief the applicant is entitled?

उक्त प्रसंग प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रार्थी की ओर से क्लेम व विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के अधीनस्थ शाखा जिंक स्मेल्टर चौराया में दिनांक 15-2-97 से 1-6-03 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगातार कार्य किया और प्रार्थी ने प्रत्येक वर्ष में 240 दिन से भी अधिक कार्य किया। प्रार्थी चपरासी का सारा कार्य देखता जिसमें आफिस खोलना, सफाई करना, डाक लाना ले जाना व बैंक बन्द होने तक के सभी कार्य करता था। इसलिये प्रार्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक की परिभाषा में आता है। प्रार्थी ने अपनी सेवाएं सन्तोषप्रद दी है। प्रार्थी को विपक्षी द्वारा दिनांक 1-6-03 को कार्य पर लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि आपको सेवा से पृथक कर दिया है। हमने आपका कार्य कोन्ट्रेक्ट पर दे दिया है। फिर प्रार्थी ने मजबूरी में पुष्पक कोरियर सर्विस के यहां 1-6-03 को नौकरी जोईन की, परन्तु उसे सेवा से पृथक किया जाना अनुचित एवं अवैध होने से उसने दिनांक 25-6-03 को विपक्षी को एक नोटिस दे कर उसे सेवा में लिये जाने की मांग की तो विपक्षी के निर्देश पर दिनांक 26-9-03 को पुष्पक कोरियर से भी सेवा से पृथक कर दिया। प्रार्थी को सेवा पृथक किये जाने के बाद उसके कार्य को करने के लिये नई भर्ती की गई एवं प्रार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति के कार्यरत रहते हुए

प्रार्थी को सेवा पृथक किया गया । प्रार्थी को सेवा पृथक करने से पूर्व न तो छटनी मुआवजा दिया, न नोटिस पे दी । प्रार्थी को सेवा पृथक किये जाने से पूर्व औ. वि. अधिनियम की धारा 25 एफ. जी. एच. की पालना नहीं की गई । प्रार्थी सेवा पृथक किये जाने के बाद से आज तक बेरोजगार है । इसलिये प्रार्थना की है कि उसे औ. वि. अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत श्रमिक माना जावे व प्रार्थी को निरन्तरता के साथ पुन: नौकरी पर लिया जावे व सेवा पृथक दिनांक से पुन: सेवा में लिये जाने तक के समस्त लाभ दिलाये जावे ।

विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी को कभी भी दिनांक 15-2-95 से 1-6-03 तक न तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा ही ली, बल्कि प्रार्थी को डाक लाने ले जाने के लिये बतौर कोरियर कोन्ट्रेक्ट बेसीस पर निश्चित पारिश्रमिक के बदले रखा गया व दिनांक 1-6-03 से प्रार्थी बैंक द्वारा कोरियर सर्विस से कोन्ट्रेक्ट करने को कहा था । कोन्ट्रेक्ट कोरियर कार्य का इफ्कचुअल ऑफ टाईम से समाप्त कर दिया गया । प्रार्थी का कोरियर सर्विस का कोन्ट्रेक्ट डे टू डे बेसीस पर केज्युअल बेसीस पर था । अस्थायी था और कार्य समाप्ति से प्रार्थी की सेवाएं 1-6-03 से कोन्ट्रेक्ट सर्विस आगे नहीं ली गई, इस कारण प्रार्थी न तो कामगार की परिभाषा में आता है और न प्रार्थी की कोई छटनी ही हुई है । इसलिये किसी प्रकार का मुआवजा या नोटिस पाने का अधिकारी नहीं है । न ही प्रार्थी बतौर कामगार धारा 25 एफ,जी.एच के तहत ही कोई लाभ पाने का अधिकारी है । इसलिये प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है ।

प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया, जिसमें उन तथ्यों का उल्लेख किया है, जिन तथ्यों का उल्लेख क्लेम प्रार्थना में है । तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिनिधित्व की प्रति प्रदर्श-1, पोस्टल रसीद प्रदर्श-2,3 प्राप्ति रसीद प्रदर्श 4,5 व असफल वार्ता प्रतिवेदन प्रदर्श -6 को साबित किया है । जिरह में उसने यह स्वीकार किया है कि उसे दैनिक वेतन पर सबसे पहले रखा था तथा उसे मासिक वेतन मिलता था । उसे मई 2003 में 60 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी । यह कहना गलत है कि विपक्षी उससे कोरियर का काम करवाता था, जिसका पैसा देता था ।

विपक्षी की ओर से नरेन्द्र व्यास आफिसर इन्वार्ज, मेवाड आंचलिक ग्रामिण बैंक का शपथ पत्र पेश किया, जिसमें उसने जबाब के तथ्यों का ही उल्लेख किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में संविदा पारिश्रमिक भुगतान के विवरण की प्रति प्रदर्श आर-1 व भुगतान पे-आर्डर प्रदर्श -2 लगायत प्रदर्श आर 4 को साबित किया है । इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह सही है कि नवम्बर 1998 से 30-6-03 तक प्रार्थी को प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक माह में मासिक भुगतान किया गया था । यह सही है कि प्रार्थी ने नवम्बर, 98 से 30-6-03 तक लगातार काम किया था। प्रार्थी ने हर साल में 240 दिन से ज्यादा काम किया था । यह सही है कि प्रार्थी को हमने नोटिस या नोटिस-पे नहीं दिया । हमने कोरियर का काम ठेके पर दे दिया, इसलिये प्रार्थी को हमने हटा दिया था ।

बहस उक्त पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी के विद्वान अधिभावक का यह तर्क है कि यह निर्विवाद है कि प्रार्थी द्वारा 10-9-98 से 30-5-03 तक विपक्षी के यहां दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य किया तथा यह भी निर्विवादित है कि उसकी सेवा समाप्त करने से पूर्व धारा 25 (एफ) औ.वि. अधि. की पालना विपक्षी द्वारा नहीं की गई । उनका यह भी तर्क रहा कि विपक्षी के गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उनके यहां कोरियर का काम आज भी विद्यमान है । अत: प्रार्थी की सेवा समाप्त करने के उद्देश्य से कोरियर का काम ठेके पर पुष्पक कोरियर को दे दिया गया । प्रार्थी की सेवा समाप्त करने से पूर्व धारा 25 (एफ) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई , इसलिये प्रार्थी सेवा में पुन: नियोजित किये जाने का अधिकारी है । उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं -

(1) 2003 (96) एफ. एल. आर. पेज 250

(2) 2006 (109) एफ. एल. आर. पेज 701

(3) 2003 (96) एफ. एल. आर. पेज 877

(4) 2006 (111) एफ. एल. आर. पेज 164

इसके विपरीत विद्वान अभिभावक विपक्षी का तर्क है कि (1) प्रार्थी को कोरियर के कार्य हेतु संविदा के आधार पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया था । अत: ऐसे मामले में धारा 25 (एफ) औ. वि. अधि. के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है अत: प्रार्थी का केस धारा 2 (ओ ओ) (बी बी) से शासित होने के कारण प्रार्थी की संविदा आगे नहीं बढ़ाई गई । अत: प्रार्थी की सेवा समाप्ति किसी प्रकार से अब विधि विरूद्ध नहीं मानी जा सकती है ।

मैने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया । मेरा विवेचन इस प्रकार है - पक्षकारों के अभिवचनों, साक्ष्य एवं तर्कों से निम्नलिखित तथ्य निर्विवादित है -

(1) प्रार्थी को विपक्षी द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में विपक्षी के यहां रखा गया था ।

(2) प्रार्थी द्वारा दिनांक 10-9-98 से 30-5-03 तक निर्विवाद रूप से विपक्षी के यहां कार्य किया तथा प्रत्येक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य प्रार्थी द्वारा किया गया है ।

(3) विपक्षी द्वारा दिनांक 1-6-03 को प्रार्थी को सेवा समाप्त करने से पूर्व विपक्षी द्वारा प्रार्थी को नोटिस या नोटिस -पे नहीं दी गई, इस प्रकार धारा 25 (एफ) औ. वि. अधि. की पालना नहीं की गई ।

प्रार्थी ने अपना केस धारा 2 (ओओ) औ. वि. अधि. के अन्तर्गत छंटनी की तारीफ में आना बताया है, जबकि विपक्षी के अनुसार प्रार्थी के साथ की गई संविदा का नवीनीकरण न करने के कारण धारा 2 (ओ ओ) (बी बी) के अन्तर्गत आना बताया है और इस आधार पर प्रार्थी की सेवा समाप्ति की छंटनी नहीं माना जा सकता है और धारा 25 (एफ) के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक नहीं था ।

यह सुस्थापित है कि जब विपक्षी धारा 2 (ओ ओ) के अपवाद जिनका वर्णन (ए), (ब), (बी बी), (सी) में है, के आधार पर

धारा 2 (ओ ओ) के मूल प्रावधान के प्रभाव को समाप्त होना बताते हैं तो विपक्षी को ऐसी ठोस व स्टीक साक्ष्य पेश करना चाहिये कि जिससे प्रकरण अपवाद के अन्तर्गत आता हो । विपक्षी ने प्रार्थी के साथ हुई संविदा के नवीनीकरण नहीं होने से प्रार्थी की सेवा समाप्ति छंटनी में नहीं आना बताया है । इसके लिये प्रार्थी को सर्वप्रथम यह साबित करना था कि पक्षकारान के मध्य संविदा हुई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में विपक्षी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । विपक्षी एक बैंक है, अत: प्रार्थी को दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य किये जाने के सम्बन्ध में कोई लिखित आदेश अवश्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया और न ही यह बताया गया कि प्रार्थी की सेवा की क्या शर्तें थी, उसकी सेवा कब प्रारम्भ हुई और कब समाप्त हुई थी। रेकार्ड पर प्रदर्श -6 के रूप में एक आदेश दिनांक 3-11-98 अवश्य प्रदर्शित हुआ है, जिसके तहत चेयरमैन द्वारा कोरियर के कार्य के लिये 40 रुपये प्रति दिन खर्च किये जाने की अनुमति दी गई है, किन्तु इस आदेश की पालना में वास्तव में क्या यह आदेश प्रार्थी को दिया गया है, यह नहीं बताया गया है ।

प्रार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त 2003 (97) एफ. एल. आर. पेज 608 एस. एम. निलाजकर बनाम टेलीकोम डिस्ट्रीक्ट मैनेजर कर्नाटका पेश किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि किसी श्रमिक को दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त करने से उसे यह सूचना नहीं मानी जा सकती कि उसे किसी विशेष समयावधि के लिये ही नियुक्त किया जा रहा है । श्रमिक को यह मालूम होना चाहिये कि उसकी नियुक्ति संक्षिप्त समय के लिये है और उसकी सेवा समाप्त की जा रही है ।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2005 (107) एफ.एल. आर. पेज 397 सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक बनाम बाबूलाल उर्फ रामबाबू के मामले में श्रमिक को 1986 से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहा था, उसकी सेवा दिनांक 1 नवम्बर, 1992 को धारा 25 (एफ) की पालना किये बिना ही समाप्त कर दी और विपक्षी की ओर से यह विवाद किया गया कि श्रमिक विशेष योजना के तहत नियोजित किया गया था । श्रम न्यायालय के समक्ष नियोजक का मुख्य एतराज यह था कि श्रमिक ने विपक्षी के यहां सफाई और पानी भरने का कार्य किया और उस संविदा को बैंक द्वारा नहीं बढ़ाया गया । श्रम न्यायालय ने यह माना कि विपक्षी ने हालांकि श्रमिक को संविदा पर रखना बताया है, किन्तु विपक्षी ने प्रार्थी व विपक्षी के मध्य हुई संविदा को पेश नहीं किया है । संविदा किस समय तक के लिये थी, यह भी नहीं बताया । ऐसी स्थिति में श्रमिक को दैनिक वेतन भोगी श्रमिक माना गया । तो माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा श्रम न्यायालय के पंचाट में हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं माना । उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में केवल मात्र इस आधार पर कि प्रार्थी को विपक्षी के यहां दैनिक वेतन भोगी के रूप में कोरियर सर्विस के कार्य करने के लिये नियुक्ति दी गई थी, यह नहीं माना जा सकता कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था । विशेष कर जबकि संविदा के सम्बन्ध में कोई विशेष साक्ष्य विपक्षी द्वारा पेश नहीं की गई है । दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के मामले में भी धारा 2 (एस) औ.वि.अधि. के तहत श्रमिक की परिभाषा में आता है और उसकी सेवा समाप्त करने से पूर्व भी धारा 25 (एफ) के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक है, जो इस मामले में स्वीकृत रूप से नहीं की गई है ।

अत: विपक्षी द्वारा प्रार्थी के साथ हुई संविदा के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण तथा बैंक में कोरियर का कार्य नियमित कार्य होने से प्रार्थी का दिनांक 10-9-98 से 30-5-03 तक कार्य करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को कोरियर का कार्य करने के लिये दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि संविदा के रूप में । जब प्रार्थी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था तो उसकी सेवा समाप्त करने से पूर्व उसको यह जानकारी होना आवश्यक है कि उसकी सेवा समाप्त होने वाली है, यही प्रावधान धारा 25 (एफ) औ.वि.अधिनियम में किया गया है । अत: धारा 25 (एफ) के प्रावधानों के तहत विपक्षी द्वारा प्रार्थी को एक माह का नोटिस या नोटिस-पे अथवा क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं कर उसकी सेवा समाप्त किया जाना किसी प्रकार से वैध एवं उचित नहीं माना जा सकता है ।

अत: प्रार्थी धारा 25 (एफ) औ.वि.अधि. के अन्तर्गत श्रमिक होने के कारण उसकी जो सेवा दिनांक 1-6-03 को समाप्त की गई है, वह उपरोक्त विवेचन के आधार पर उचित व वैध नहीं है । अब यह प्रश्न उठता है कि प्रार्थी क्या राहत पाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का स्वयं का यह केस है कि प्रार्थी की विपक्षी द्वारा दिनांक 1-6-03 को काम पर लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह पुष्पक कोरियर के यहां नौकरी कर सकता है । प्रार्थी का केस यह भी है कि उसने पुष्पक कोरियर के यहां जाकर नौकरी जोईन की, परन्तु उसे यहां से भी सेवा से पृथक कर दिया गया । विपक्षी के गवाह ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि कोरियर का काम ठेके पर दे दिया गया है । इसलिये प्रार्थी को हटा दिया । अत: यह निर्विवाद है कि विपक्षी द्वारा कोरियर का कार्य पुष्पक कोरियर को ठेके पर दे दिया गया । अत: विपक्षी द्वारा प्रार्थी से जो कोरियर का कार्य लिया जाता था, वह विपक्षी द्वारा कराना बन्द कर दिया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2002(92) एफ. एल. आर. पेज 811 सवाई माधोपुर एण्ड टोंक जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ बनाम ओमप्रकाश शर्मा, 2001 (2) एस.आर.जे. पेज 269 विक्रमादित्य पाण्डे बनाम इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल, 2002 (94) एफ एल आर पेज 283 स्टेट आफ राज. बनाम कन्हैयालाल, आर एल आर 2007 (1) पेज 670 जोनल मैनेजर यूको बैंक बनाम रामप्रकाश का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यहां श्रमिक की सेवा मुक्ति अवैध मानी जाये तो उसे पुन: नियोजित किये जाने का आदेश दिया जाना चाहिये, किन्तु इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में जबकि विपक्षी द्वारा कोरियर कार्य को स्वयं द्वारा कराना बंद कर दिया और ठेके पर दे दिया गया तो उक्त न्यायिक दृष्टान्त ऐसे मामले में लागू नहीं होते है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2006 एस. सी.सी. (एण्ड एण्ड एच) पेज 429 स्टेट आफ मध्य प्रदेश बनाम अर्जुनलाल के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि जहां किसी संस्थान का उत्पादन यूनिट ही बन्द हो गया है, जिसमें दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्य करता हो तो वह धारा 25 (एफ) की पालना न होने के कारण उसकी सेवा मुक्ति को अवैध

मानते हुए कि उसे पुर्न नियोजित की राहत न दी जाकर आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है। यदि प्रार्थी को पुनः नियोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है तो वह दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में पुनः नियोजित किया जायेगा। अतः प्रार्थी की सेवा अवधि व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए यदि प्रार्थी को पुनः नियोजित किये जाने का अनुतोष न दिया जाकर आर्थिक क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है, तो मेरी राय में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को 25000 (पच्चीस हजार) रुपये क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है।

अतः भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 10-6-2004 को उत्तरित करते हुए पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि श्रमिक श्री महेश व्यास पिता श्री पी. एल. व्यास धारा 2 (एस) के तहत श्रमिक है तथा प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 1-6-03 को विपक्षी द्वारा सेवा पृथक किया जाना वैध एवं उचित नहीं है अतः प्रार्थी को इसके लिये एक मुश्त 25000 रुपये (पच्चीस हजार) रुपये क्षति पूर्ति राशि दिलाया जाना उचित है।

विपक्षी पंचाट प्रकाशन होने के दो माह के भीतर प्रार्थी को उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदा करे, अन्यथा उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देय होगा।

पंचाट प्रकाशनार्थ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को भेजा जाये।

पंचाट आज दिनांक 13-2-2009 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया गया।

अभय चतुर्वेदी, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ. 812.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 103/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-03-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/111/2001-आई आर (बी-1)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 812.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 103/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, and their workmen, received by the Central Government on 9-03-2009.

[No. L-12012/111/2001-IR(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT LUCKNOW

PRESENT : Shri N. K. Purohit, Presiding Officer

I.D. No. 103/2001

Ref No. L-12012/111/2001-IR(B-I) dated: 20-06-2001

BETWEEN

Shri Vijay Kumar, S/o Shri Om Prakash
R/o C/o Shri Kam Kumar Gautam
Arun Medical Store, Near T. B. Sanatorium
Vrindayan
Distt. & Tehsil - Mathura.

AND

1. The General Manager
State Bank of Bikaner & Jaipur
HO:- Tilak Marg, C-Scheme
Jaipur (Rajasthan) - 302 001

2. The Branch Manager
State Bank of Bikaner & Jaipur
Rangji Market, Rang Mandir
Paschim Darwaja, Vrindayan
Distt. & Tehsil - Mathura

AWARD

20-2-2009

1. By order No. L-12012/111/2001-IR(B-I) dated: 20-06-2001, the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Shri Vijay Kumar, S/o Shri Om Prakash R/o C/o Shri Kam Kumar Gautam, Arun Medical Store, Near T. B. Sanatorium, Vrindavan, Distt. & Tehsil- Mathura and the General Manager, State Bank of Bikaner & Jaipur, HO:- Tilak Marg, C- Scheme, Jaipur (Rajasthan) & the Branch Manager, State Bank of Bikaner & Jaipur, Rangji Market, Rang Mandir, Paschim Darwaja, Vrindayan, Distt. & Tehsil- Mathura for adjudication :

The reference under adjudication is as under:

क्या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबंधन द्वारा कर्मकार श्री विजय कुमार को दिनांक 2-9-1999 से सेवा से निष्कासित करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

3. The case of the workman, Vijay Kumar, in brief, is that he was employed by the Branch Manager in capacity of Peon w.e.f. 17-5-99, without any written appointment

order and he worked as such continuously till 1-9-1999 and thereafter his services were terminated without any notice, notice pay or compensation in lieu thereof in violation of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947, as he worked for more than 240 days during his engagement with the Bank. The workman has alleged that though he performed duties of regular peon, but he was not paid salary and other benefits admissible to regular peon instead he was paid at the rate of Rs.30 per day, excluding Sundays and other holidays, not only in the name of workman but also in fictitious names. The workman has further alleged that the management with view to derived him of the right of permanency in service, created artificial break and never allowed him to mark attendance.

As per averments made by the workman the management has also violated provisions contained in Section 25-H and 25-G of the Industrial Disputes Act, 1947 by not providing him any opportunity or re-employment with them and instead engaging fresh hands. The workman has submitted that action of the management in not giving him written appointment order is violative of provisions contained in para 495 of the Shastry Award and terminating his services without giving any notice, prior to termination of his services is violative of provisions contained in para 522 (1), 522 (4) and 522 (5) of the Shastry Award. Accordingly the workman has prayed that his termination be held illegal, invalid and void-ab-initio, being violative of provisions of Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 and para 495 &522 of Shastri Award and he be reinstated with all consequential benefits including back wages.

4. The management of the State Bank of Bikaner &Jaipur has disputed the claim of the workman by filing their written statement and submitting therein that it never appointed Vijay Kumar in any capacity hence there existed no relationship of employee and employer between the workman and the management, therefore, there does not arise any question of terminating his service at any point of time or violation of any of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 or of Shastri Award. Instead the management has submitted that there was relationship of contractor and consumer between the workman and the management as he used to supply water to the concerned branch of the Bank at the contracted rate as and when required by the Bank during period 17-05-1997 and 1-09-1999. The management has mentioned that the alleged provisions of Industrial Disputes Act, 1947 or Shastri Award does not attract in the present case of the workman, accordingly there was no need to issue any notice before alleged termination in as much as the appointment of the workman was never made in any capacity whatsoever. Accordingly the management has prayed that the claim of the workman be rejected and he is not entitled to any relief as claimed by him.

5. The workman has filed rejoinder and has not uttered any thing new apart from reiterating the facts already stated by him in the statement of claim.

6. The parties have filed documentary evidence in support of their respective claim. The workman has filed his affidavit in suport of his claim but did not turn up for cross-examination accordingly the case was ordered to proceed ex-parte against the workman vide order dated 28-7-2005 and date was fixed for management's evidence. The management on 14-9-2005 made a mention on the order sheet that ' since the workman has not produced any evidence to show that there is any dispute, the management doesn't want to lead any evidence', as such the case was reserved for Award after hearing the parties.

7. Subsequently another opportunity of rehearing was provided to the parties. Thereupon the parties availed this opportunity in filing written arguments in support of their respective cases.

8. Heard learned representatives of both the parties and perused the evidence on record.

9. The learned representative on behalf of the workman has submitted detailed written argument wherein it is contended that the workman had worked as Peon from 17-5-97 to 1-9-99 for more than 240 days, despite his services of the workman have been terminated on 2-9-99 without any notice and retrenchment compensation in violation of Section 25 F of the I.D. Act. It is further submitted that principle for last come first go has not been followed. No seniority list as required to be maintained under Rule 77 of Central Rules under I.D. Act was maintained by the bank and bank had also not given order of appointment in terms of para 535 of Shastri Award. In support of his contentions, he has placed reliance on the following case laws :

1. Suraj Pal Singh Vs. PO L.C. (2002 III LLJ 885) (Delhi High Court)
2. M.P.Bank Karamchari Sangh Vs. Syndicate Bank (1996 LIC 1161) (M.P. High Court)
3. Standard Motor Products Ltd. Vs. A. Parthsarathy (1995 (4) SCC 78)
4. Gaffar Vs. Union of India (1984 LIC 645 Patna)
5. Raj Bahadur Vs. Food Specialities Ltd. (1991 FJR/ FLR(78) 281 Rajasthan)
6. GSRTC Vs. workmen of (GSRTC 1999 II LLJ 1363 Gujarat)
7. Santosh Gupta Vs. State Bank of Patiala (AIR 1980 SC 1219)

10. In reply, the learned representative on behalf of the management has submitted in his written argument that affidavit of the workman can not be read in evidence as he has not produce himself in the evidence. In absence of proof of any averment, his claim has no merit and is liable to be dismissed.

11. Keeping in view the above submissions, perused the relevant record. From the order sheets of the case file, it reveals that an affidavit of the workman was filed on 18-7-02 and several opportunities were provided

to the management for cross-examination on the affidavit of the workman. On 16-4-03 none was present on behalf of the management and it was presumed that management did not want to cross-examine the workman. Next date fixed for management evidence. On 19-9-03 the court proceeded ex-parte against the management. Subsequently, and application C-33 was moved on 23-12-04 for setting aside the orders dt. 16-4-03 and 1-9-03 and vide detailed order sheet dt. 5-4-05, the above application was accepted and order for ex-parte proceedings were set aside and opportunity was provided to the management to cross-examine the workman. The order sheet dt. 28-7-05 also reveals that at the stage of cross-examination of the workman on his affidavit, an application was moved on behalf of the workman for seeking adjournment which was rejected by the then learned Presiding Officer and following order was passed :—

" It is believed that the worker does not want to produce any evidence or does not want to be cross-examined or examined . Fixed 18-8-05 for evidence of opposite party."

12. Subsequently, vide order sheet dt. 14-9-05 follwing order was passed :—

" Since the worker has not turned up for cross by OP therefore, the OP does not want to produce any evidence since it was for the workman to prove that he worked for 240 days continuously before the date of terminations. Smt. Guta Kalra stated that she can't help the worker as he failed to contact him although she sent 2-3 registered letters. Reserved for award."

13. From the perusal of subsequent order sheets it appears that learned representative on behalf of the workman and the workman have remain present on certain dates and written arguments have also been filed by the learned representative of the workman but no application was moved to set aside the orders dt. 28-7-05 and 14-9-05. Thus, it is evident from the record that affidavit of the workman dt. 18-7-02 is on the record but the workman did not subjected himself for cross-examination on the same.

14. It is well settled legal position that if party challenges the legality of the order, the burden lies upon him to prove illegality of the order if no evidence is produced the party-invoking jurisdiction of the court must fail. In the present case, burden was on the workman to show that he had worked for 240 days in preceding 12 months prior to his alleged retrenchment and to set out the grounds to challenge the validity of the alleged termination order said to be in violation of Section 25 F of the I.D. Act and to prove that his termination was illegal.

15. The workman has filed his affidavit in support of his contention but he has not produced himself for cross-examination therefore, his evidence on affidavit can not be considered. Thus, after discarding his affidavit there is no oral evidence in support of his claim mere pleadings in statement of claim are not substitute of proof. The claim of the workman has been denied by the management therefore, it was for the workman to lead oral and documentary evidence to show that he had in fact worked 240 days in the year preceding his alleged termination. Merely, on this ground that management has also not adduced any evidence in support of their contention, averments of the workman cannot be presumed to be proved. A party to the list may or may not succeed in its defence, the same in law cannot be taken to be a circumstance that the workman has prove his case.

16. In view of the above discussion the workman has fail to prove that he had worked for more than 240 days in a calendar year and his alleged termination is in violation of Section 25 F of the I.D. Act. Thus, he is not entitled for any relief . The reference under adjudication is answered accordingly.

17. Award as above.

Lucknow.

N. K. PUROHIT, Presiding Officer

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2009

का.आ. 813.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, साधारण के भाग- II खण्ड 3 (ii) में दिनांक 15 जनवरी, 2009 को प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 15 जनवरी 2009 की अधिसूचना का.आ. 172 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में प्रतिष्ठान/फैक्ट्री के शीर्ष नाम के अंतर्गत क्रम संख्या 16 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या 16 के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

1. मैसर्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड,
कंचनबाग, हैदराबाद ।

[संख्या एस-38014/48/2008-एस.एस.-1]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th March, 2009

S.O. 813.—In exercise of the powers conferred by Section 88, read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 172 dated the 15th January, 2009 published in the Gazette of India, Ordinary, Part II, Section 3 (ii) dated the 15th January, 2009.

In the said notification under the heading name of the establishment/factory against Sl. No. 16, the following

entries shall be substituted namely:—

For the entries at Sl.No. 16 the following entries are substituted :—

1. M/s. Bharat Dynamics Limited,
Kanchanbagh, Hyderabad.

[No.S-38014/48/2008-SS-I]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 814.—जबकि मैसर्स सोनाटा साफ्टवेयर लि. [महाराष्ट्र क्षेत्र में कोड संख्या एमएच/43477 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17-की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-4-2000 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/39/2000-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 814.—Whereas M/s Sonata Software Ltd. [under Code No.MH/43477 in Maharashtra Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And, whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-4-2000 until further notification.

[No. S-35015/39/2000-SS-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 815.—जबकि मैसर्स टाटा एलेक्सी लि. [कर्नाटक क्षेत्र में कोड संख्या के एन/18252 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 31-5-1992 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/20/2003-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 815.—Whereas M/s Tata Elxsi (India) Ltd. [under Code No. KN/18242 in Karnataka Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 31-5-1992 until further notification.

[No. S-35015/20/2003-S.S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 816.—जबकि मैसर्स टाइटन इंडस्ट्रीज लि. (तमिलनाडु क्षेत्र में कोड संख्या टीएन/25186 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-2-1990 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/4/2007-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 816.—Whereas M/s Titan Industries Ltd. [under Code No.TN/25186 in Tamil Nadu Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

1128 GI/09-6

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-2-1990 until further notification.

[No. S-35015/4/2007-S.S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 817.—जबकि मैसर्स केसी इंडस्ट्रीज लि. (उप क्षे.का., महाराष्ट्र क्षेत्र में कोड संख्या एमएच/4496 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-3-1993 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/9/2007-एस एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 817.—Whereas M/s. Kaycee Industries Ltd. [under Code No.MH/4496 in SRO, Maharashtra Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-3-1993 until further notification.

[No. S-35015/9/2007-S S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 818.—जबकि मैसर्स इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉआपरेटिव लि.[दिल्ली (दक्षिण) क्षेत्र में कोड संख्या डीएल/2436 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप- धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-6-1975 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/33/2007-एस एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 818.—Whereas M/s. Indian Farmers Fertilisers Co-operative Ltd. [under Code No.DL/2436 in Delhi (South) Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-6-1975 until further notification.

[No. S-35015/33/2007-S S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च , 2009

का.आ. 819.—जबकि मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. [दिल्ली (उत्तर) क्षेत्र में कोड संख्या डीएल/3812 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-4-1976 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/36/2007-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 819.—Whereas M/s Bharat Heavy Electricals Ltd. [under Code No.DL/3812 in Delhi (North) Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-4-1976 until further notification.

[No. S-35015/36/2007-S S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 820.—जबकि मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि. [दिल्ली (दक्षिण) क्षेत्र में कोड संख्या डीएल/7303 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहें हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-4-1984 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/39/2007-एस एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 820.—Whereas M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd. [under Code No. DL/7303 in Delhi (South) Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-4-1984 until further notification.

[No. S-35015/39/2007-S S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 821.—जबकि मैसर्स स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि. (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/28002 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17-की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहें हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-4-1992 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/41/2007-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 821.—Whereas M/s. Steel Authority of India Ltd. [under Code No.WB/28002 in Kolkata Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-4-1992 until further notification.

[No. S-35015/41/2007-S.S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 822.—जबकि मैसर्स अलाय स्टील प्लांट (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/12646 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहें हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 31-10-2006 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/42/2007-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 822.—Whereas M/s. Alloy Steel Plant [under Code No.WB/12646 in Kolkata Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act);

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 31-10-2006 until further notification.

[No. S-35015/42/2007-S.S-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 823.—जबकि मैसर्स ज्वाइंट प्लांट कमेटी (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/14014 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहें हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-3-1983 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/44/2007-एस.एस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 823.—Whereas M/s. Joint Plant Committee [under Code No.WB/14014 in Kolkata Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-3-1983 until further notification.

[No. S-35015/44/2007-SS-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 824.—जबकि मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. (वडोदरा क्षेत्र में कोड संख्या जीजे/14401 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 14-2-1985 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/47/2007-एसएस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर संचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 824.—Whereas M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd. [under Code No. GJ/1440 in Vadodara Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 14-2-1985 until further notification.

[No. S-35015/47/2007-SS-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 825.—जबकि मैसर्स सीएमसी लि. (आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में कोड संख्या एपी/5954 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17-की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-1-1979 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/50/2007-एसएस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 825.—Whereas M/s CMC Ltd. [under Code No.AP/5954 in Andhra Pradesh Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as

the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-1-1979 until further notification.

[No. S-35015/50/2007-SS-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 826.—जबकि मैसर्स दुर्गापुर स्टील प्लांट (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/9528 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)की धारा 17-की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नही है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 28-12-1962 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[संख्या एस-35015/53/2007-एसएस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 826.—Whereas M/s Durgapur Steel Plant [under Code No.WB/9528 in Kolkata Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 28-12-1962 until further notification.

[No. S-35015/53/2007-SS-II]
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 827.—जबकि मैसर्स रिलायन्स पैट्रोलियम लि. (राजकोट क्षेत्र में कोड संख्या जीजे/42882 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान में रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 01-09-2006 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/1/2008-एसएस-II]
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 827.—Whereas M/s Reliance Petroleum Ltd. [under Code No. GJ/42882 in Rajkot Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar charactor.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01-09-2006 until further notification.

[No. S-35015/1/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 828.—जबकि मैसर्स रिलायन्स ग्लोबल मैनेजमैंट सर्विसेज (प्रा.) लि. (गुजरात क्षेत्र में कोड संख्या जीजे/40552 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 01-04-2001 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/2/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 828.— Whereas M/s. Reliance Global Management Services (P) Ltd. (under Code No. GJ/40552 in Gujarat Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar charactor.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01-04-2001 until further notification.

[No. S-35015/2/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 829.—जबकि मैसर्स मुद्रा कम्युनिकेशन (प्रा.) लि. (गुजरात क्षेत्र में कोड संख्या जीजे/4147 ए के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 01-04-1993 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/3/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 829.— Whereas M/s. Mudra Communication (P.) Ltd. (under Code No. GJ/4147A in Gujarat Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01-04-1993 until further notification.

[No. S-35015/3/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 830.—जबकि मैसर्स एनआईआईटी टेक्नॉलाजीस लि. [दिल्ली (दक्षिण) क्षेत्र में कोड संख्या डीएल/33691 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 16-03-2009 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/9/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 830.—Whereas M/s. NIIT Technologies Ltd. [under Code No. DL/33691 in Delhi (South) Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 16-03-2009 until further notification.

[No. S-35015/9/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 831.—जबकि मैसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कोड संख्या सीएच/530 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 01-04-1958 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/13/2008-एस.एस.II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 831.—Whereas M/s. Bhilai Steel Plant (under Code No.CH/530 in Chhatisgarh Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01-04-1958 until further notification.

[No. S-35015/13/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 832.—जबकि मैसर्स बर्जर पेंटस (इं.) लि. (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/5087 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 16-03-2009 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/20/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 832.—Whereas M/s Berger Paints (I) Ltd. (under Code No. WB/5087 in Kolkata Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 16-03-2009 until further notification.

[No. S-35015/20/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 833.—जबकि मैसर्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/25787 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 01-08-1988 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/16/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 833.— Whereas M/s Birla Institute of Scientific Research, (under Code No. WB/25787 in Kolkata Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said

Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01-08-1988 until further notification.

[No. S-35015/16/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ 834.—जबकि मैसर्स माइक्रोलैंड लि. (कर्नाटक क्षेत्र में कोड संख्या केएन/15197 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप मे संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ;

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 21-04-1992 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/22/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 834.—Whereas M/s Microland Ltd., (under Code No. KN/15197 in Karnataka Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 21-04-1992 until further notification.

[No. S-35015/22/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 835.—जबकि मैसर्स जिलेट इंडिया (प्रा.) लि. (राजस्थान क्षेत्र में कोड संख्या आर.जे./4075 के अधीन) (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं है और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 01-11-1993 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/27/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 835.— Whereas M/s Gillette India (P) Ltd., (under Code No. RJ/4075 in Rajasthan Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard

from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-11-1993 until further notification.

[No. S-35015/27/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 836.—जबकि मैसर्स एस्सार आयल लि. [मुंबई 1 क्षेत्र में कोड संख्या एमएच/41109 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं हैं और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 2-12-1996 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/30/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 836.—Whereas M/s. Essar Oil Ltd., [under Code No.MH/41109 in Mumbai-1 Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas, in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 2-12-1996 until further notification.

[No. S-35015/30/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 837.—जबकि मैसर्स गृह फाइनेन्स लि. [अहमदाबाद क्षेत्र में कोड संख्या जी जे/10614 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान में रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं हैं और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-2-1991 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/31/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 837.—Whereas M/s. Gruh Finance Ltd., [under Code No.GJ/10614 in Ahmedabad Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard

from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-2-1991 until further notification.

[No. S-35015/31/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 838.—जबकि मैसर्स एसडीवी एयर लिंक लि. [कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/28677 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं हैं और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-6-1992 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/33/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 838.— Whereas M/s. SDV Air Link India Ltd., [under Code No.WB/28677 in Kolkata Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas, in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-6-1992 until further notification.

[No. S-35015/33/2008-SS-II]

S.D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 839.—जबकि मैसर्स रिलायन्स इंजीनियरिंग एसोसिएशन (प्रा.) लि. [उप क्षे. का., राजकोट क्षेत्र में कोड संख्या जीजे/40550 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम हितकर नहीं हैं और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-4-2001 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/34/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 839.—Whereas M/s. Reliance Engineering Association (P) Ltd., [under Code No.GJ/40550 in SRO, Rajkot Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as

the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-4-2001 until further notification.

[No. S-35015/34/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

का.आ. 840.—जबकि मैसर्स आईएमसी लि. [उप क्षे. का, कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/5307 के अधीन] (एतदुपरान्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन दिया है ।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार के विचार में अंशदान दर के मामले में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के नियम उसके कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट निबमों की तुलना में कम हितकर नहीं हैं और कर्मचारी भी समान प्रकृति के किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरान्त योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान को उक्त योजना के समस्त उपबंधों के प्रचालन से 1-5-1962 से अगली अधिसूचना तक के लिए छूट प्रदान करती है ।

[सं. एस-35015/37/2008-एसएस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2009

S.O. 840.—Whereas M/s. IMC Ltd., [under Code No.WB/5307 in SRO, Kolkata Region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in this regard from time to time, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1-5-1962 until further notification.

[No. S-35015/37/2008-SS-II]

S. D. XAVIER, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.